

अनुक्रम	
भाग I –परिचय	
भाग II –आयात के लिए सामान्य अनुदेश	
बी.1.	सामान्य दिशानिर्देश
बी.2.	आयात का भुगतान करने के लिए विप्रेषण
बी.3.	आयात लाईसेंस
बी.4.	विदेशी मुद्रा के क्रेता का दायित्व
बी.5.	आयात के भुगतान के निपटान के लिए समय सीमा
बी.6.	विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपयों का आयात
बी.7.	आयात लेनदेनों के लिए तीसरी पार्टी का भुगतान
बी.8.	प्राधिकृत व्यापारी द्वारा गारंटियां जारी करना
भाग III –आयात के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश	
सी.1.	अग्रिम विप्रेषण
सी.2.	आयात बिलों पर ब्याज
सी.3.	ऐवजी आयात के लिए विप्रेषण
सी.4.	ऐवजी आयात के लिए गारंटी देना
सी.5.	कारोबार प्रक्रिया आउट सोर्सिंग [बीपीओ] कंपनियों द्वारा उनकी विदेशी साईटों के लिए उपस्करों का आयात
सी.6.	आयातक द्वारा पारदेशीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ही आयात बिल दस्तावेज प्राप्त करना
सी.7.	आयात का साक्ष्य
सी.8.	¹ आयात आंकड़े प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
सी.9.	सत्यापन और परिरक्षण
सी.10.	आयात के साक्ष्य के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना
सी.11.	सोने का आयात
सी.12.	अन्य मूल्यवान धातुओं का आयात
सी.13.	आयात की फैक्ट्रिंग
सी.14.	मर्चेंटिंग व्यापार
सी.15.	ऑन लाइन भुगतान गेट वे सेवा प्रदाताओं के माध्यम से आयात का भुगतान करना
सी.16.	आयात लेनदेनों का उन मुद्राओं में निपटान करना जिनकी कोई प्रत्यक्ष विनिमय दर नहीं है मास्टर निदेशों में परिपत्रों की समेकित सूची

¹ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 5 के जरिये संशोधित किया गया। अधिसूचना के पहले उसे "प्राप्ति सूचना जारी करना" के रूप में पढ़ा जाता था।

² दिनांक 04 फरवरी 2016 के परिपत्र एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 42 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया।

मास्टर निदेश 17-माल और सेवाओं का आयात

भाग I - परिचय

- (i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय [डीजीएफटी] विदेशी व्यापार को विनियमित करता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I [एडी श्रेणी-I] बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में जो आयात किये जाते हैं वे प्रचलित व्यापार नीति और भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 381 [ई] द्वारा बनायी गयी विदेशी मुद्रा प्रबंध [चालू खाता लेनदेन] विनियमावली, 2000 के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार ही किये जाते हैं।
- (ii) एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने ग्राहकों को आयात के लिए साख पत्र जारी करते समय सामान्य बैंकिंग क्रियाविधि तथा दस्तावेजी ऋण के लिए एकरूप पद्धति और प्रथाओं [यूसीपीडीसी] आदि के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।
- (iii) ड्राइंग्ज और डिजाइनों के आयात के लिए अनुसंधान और विकास उपकरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (iv) एडी श्रेणी-I बैंक आयातकों को जहां कहीं लागू हो वहां आय कर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कह सकते हैं।
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजा जानेवाला कोई भी सन्दर्भ जब तक कि अन्यथा दर्शाया नहीं गया हो, पहले आवेदक जहां रहता है अथवा फर्म / कंपनी जहां पर कार्यरत है उस क्षेत्र के विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यदि किसी विशिष्ट कारण से वे विदेशी मुद्रा विभाग के किसी दूसरे कार्यालय से व्यवहार करना चाहते हैं तो वे अपने कार्यक्षेत्र के विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक अनुमोदन के लिए संपर्क करें।

भाग II -आयात के लिए दिशा निर्देश

बी.1. सामान्य दिशानिर्देश

एडी श्रेणी-I बैंक अपने ग्राहकों की ओर से आयात भुगतान के लिए जो लेनदेन करते हैं उस समय विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से उन्हें जिन नियमों और विनियमों का पालन करना है उनका उल्लेख नीचे के पैराग्राफों में किया गया है। इसके लिए कोई विशिष्ट नियमावली निर्धारित नहीं की गयी है। एडी श्रेणी-I बैंकों पर सामान्य व्यापार प्रथाएं लागू हो सकती हैं। एडी श्रेणी-I बैंक विशेष रूप से यह नोट करें कि उन्हें अपने सभी लेनदेन करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक [बैंकिंग विनियमन विभाग] द्वारा जारी किये गये "अपने ग्राहक को जानिये" [KYC] दिशानिर्देशों का पालन करना है।

बी.2 आयात का भुगतान करने के लिए विप्रेषण

एडी श्रेणी-I बैंक इस बात को सुनिश्चित करने पर कि आयातक द्वारा सभी अपेक्षित ब्योरे उपलब्ध कराए गए हैं और उक्त विप्रेषण यथालागू प्रचलित विधि के अनुसार वास्तविक व्यापार लेनदेन करने के लिए किया गया है, भारत में किये गये आयात के विप्रेषण के लिए अनुमति दे सकते हैं।

बी.3. आयात लाईसेंस

नकारात्मक सूची में शामिल माल, जिनके लिए प्रचलित विदेशी व्यापार नीति के अनुसरण में लाईसेंस लेना आवश्यक है, उनको छोड़कर, एडी श्रेणी-I बैंक मुक्त रूप से साख पत्र खोल सकते हैं और आयात के लिए विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। साख पत्र खोलते समय लाईसेंस की 'विदेशी मुद्रा नियंत्रण के प्रयोजन के लिए' प्रतिलिपि मांगी जानी चाहिए और उस लाईसेंस से यदि कोई विशेष शर्तें जुड़ी हों तो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त लाईसेंस के अंतर्गत विप्रेषण करने के बाद एडी श्रेणी-I बैंक उपयोग

किये गये लाईसेंस की प्रतिलिपि/ प्रतिलिपियाँ उनका आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा निरीक्षकों द्वारा सत्यापन किये जाने तक परिरक्षित करते हुए अपने पास रखें।

बी.4. विदेशी मुद्रा के क्रेता का दायित्व

- (i) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10 (6) के अनुसरण में जो भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है उसे उस विदेशी मुद्रा का उपयोग या तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 10 (5) के अंतर्गत घोषित प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए करना चाहिए जिसके लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति है ।
- (ii) जहां प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में माल का आयात करने के लिए किया गया हो वहां एडी श्रेणी- 1 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैरा सी.7 में स्पष्ट किए गए अनुसार ³आईडीपीएमएस के अनुसार, डाक मूल्यांकन फार्म अथवा कस्टम्स मूल्यांकन प्रमाणपत्र आदि जैसे आयात साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जितनी राशि का विप्रेषण किया गया था उतनी राशि का आयात किया गया है । ⁴एडी श्रेणी- 1 बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि IDPMS की अधिसूचित तारीख को आयात से संबंधित सभी बकाया विप्रेषणों को IDPMS में अपलोड किया गया है ।
- ⁵(iii) विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के तरीके में किसी बात के होते हुए भी [[दिनांक 02 मई 2016 का फेमा/ 14 आर/ 2016-आरबी](#)] भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति भारत में क्रेडिट / डेबिट कार्ड सेवाएं देनेवाले बैंक द्वारा जारी किये गये अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के जरिये विदेशी मुद्रा में / भारतीय रुपयों में आयातक द्वारा हस्ताक्षरित चार्ज स्लिप प्रस्तुत किये जाने पर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से विदेशी मुद्रा में आयात का भुगतान कर सकता है, बशर्ते वह लेनदेन मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप हो और आयात प्रचलित विदेश व्यापार नीति के अनुसरण में किया गया हो ।

iv. भारत का निवासी व्यक्ति निम्नानुसार भुगतान भी कर सकता है :

- (ए) भारत के दौरे पर आये हुए भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति की भारत आने-जाने और भारत में यात्रा के लिए तथा उसके खान पान, रहने-ठहरने की व्यवस्था के लिए और उससे संबंधित अन्य सेवाओं के लिए रुपयों में किया जाने वाला भुगतान;
- (बी) कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित विदेशी व्यापार [विकास और विनियमन] अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी अन्य क़ानून, नियमावली, विनियमावली के अंतर्गत जारी किये गये किसी भी आदेश के जरिये लागू शर्तों के अनुसार किसी भी रूप में सोना अथवा चांदी आयात करता है तो उसके क्रय के प्रतिफल के रूप में किसी क़ास चेक या ड्राफ्ट के जरिये भुगतान;
- (सी) कोई कंपनी अथवा भारत का निवासी व्यक्ति द्वारा अपने अंशकालिक निदेशक को, जो भारत के बाहर का निवासी है और कंपनी के किसी काम से भारत आया है और जो सिटिंग शुल्क, अथवा कमीशन अथवा अन्य परिलब्धियों के लिए पात्र है, उसे भारत आने-जाने और भारत में यात्रा करने के लिए कंपनी के मेमोरैंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निहित प्रावधानों के अनुसार अथवा किये गये करार के अनुसार अथवा कंपनी द्वारा उसकी साधारण बैठक में पारित संकल्प के अनुसार या कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के अनुसार भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा भुगतान करने के लिए किसी भी क़ानून, नियमावली, विनियमावली निदेशों का अनुपालन किया गया हो ।

³ दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी डीआईआर शृंखला परिपत्र सं. 27 द्वारा आशोधित, आशोधन के पूर्व इसे "प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि" पढ़ा जाता था।

⁴ दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 5 के जरिये जोड़ा/ इन्सर्ट किया गया ।

⁵ दिनांक 20 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] परिपत्र सं. 11(1)/14 आर के जरिये संशोधित किया गया । संशोधन से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था " दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 14 / 2000-आर बी में निर्धारित आयात के भुगतान के लिए अनुमत तरीकों के अतिरिक्त, भारत में किसी बैंक के पास बनाये रखे गये विदेशी निर्यातकों के अनिवासी खातों में राशि जमा करते हुए भी आयात का भुगतान किया जा सकता है । ऐसे मामले में भी एडी श्रेणी - 1 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त उप पैरा (i) and (ii) में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जाता है ।"

बी.5. आयात भुगतान के निपटान के लिए समय सीमा

बी.5.1. सामान्य आयात के लिए समय सीमा

- (i) मौजूदा विनियमावली के अनुसार जहां पर कार्यनिष्पादन की गारंटी आदि जैसे कारणों से राशियों को रोक रखा गया है, ऐसे मामलों को छोड़ कर आयात के संबंध में किये जाने वाले सभी विप्रेषणों को शिपमेंट की तारीख से छः महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।⁶ इसके अलावा कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न बाधाओं के मद्देनजर, दिनांक 22 मई 2020 के प्रभाव से 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में ऐसे सामान्य आयातों (उन मामलों को छोड़ कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी आदि जैसे कारणों के लिए राशि को रोक कर रखा गया है) के समक्ष किए जाने वाले विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा को विस्तारित करते हुए उसे शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया है।
- (ii) एडी श्रेणी- I बैंक, विवादों, वित्तीय अड़चनों आदि के कारण विलंब हुए आयात के भुगतानों को निपटाने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, ऐसे विलंबित भुगतानों, मीयादी बिलों पर अथवा अतिदेय ब्याज पर यदि कोई ब्याज देय हो तो शिपमेंट की तारीख से केवल तीन वर्षों तक नीचे भाग III के पैरा सी.2 में दिये गये अनुसार उसका भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

बी.5.2. आस्थगित भुगतान व्यवस्था के लिए समय सीमा

आस्थगित भुगतान के संबंध में की गयी कोई भी व्यवस्थाएं [आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के उधार सहित] जो पूँजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में तीन वर्षों के लिए और गैर-पूँजीगत वस्तुओं के लिए एक वर्ष तक या परिचालन चक्र तक की अवधि, जो भी कम हो, के लिए की गयी हो, उसे व्यापार ऋण माना जाएगा जिसके लिए [बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित दायित्वों पर जारी मास्टर निदेश](#) में निर्धारित क्रियाविधिगत दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।⁷

बी 5.3. पुस्तकों के आयात के लिए समय सीमा

पुस्तकों के आयात के लिए किये गये विप्रेषणों की बिना किसी समय सीमा के अनुमति दी जाए, बशर्ते उसपर यदि कोई ब्याज देय हो तो वह इस परिपत्र के भाग III के पैरा सी.2 में दिये गये अनुसार लगाया जाता है।

बी.5.4 समय बढ़ाना

- (i) एडी श्रेणी-I बैंक, आयात की देयताओं को निपटाने के लिए भले ही, माल की गुणवत्ता अथवा मात्रा अथवा करार की शर्तों का पालन न करना जैसी स्थितियों के कारण पैदा हुए विवादों से; वित्तीय अड़चनों के कारण और जहां पर आयातक ने बिक्रीकर्ता के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है ऐसे मामलों में, उनका इनवाइस मूल्य कुछ भी क्यों न हो, किसी एक समय में छः माह तक [अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक] समय बढ़ाकर देने के संबंध में विचार कर सकते हैं। जिन मामलों में रिज़र्व बैंक ने समय विस्तार के लिए क्षेत्र विशेष संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं [जैसे कच्चे, कट किये हुए और पॉलिश किये हुए हीरे] वहां पर वही बातें लागू होगी।
- (ii) समय विस्तार प्रदान करते समय एडी श्रेणी- I बैंक यह सुनिश्चित करें कि:
 - (ए) इनवाइस में शामिल लेनदेनों की प्रवर्तन निदेशालय / केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच नहीं की जा रही है;

⁶ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी (डी आईआर) शृंखला परिपत्र सं. 65 के जरिये अंतर्विष्ट किया गया।

⁷ संशोधित, संशोधन के पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "पांच वर्ष तक आस्थगित भुगतान व्यवस्था को [आपूर्तिकर्ता और खरीदारों के उधार सहित] व्यापार ऋण माना जाता है जिसके लिए बाह्यवाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋण के संबंध में जारी मास्टर परिपत्र में निर्धारित क्रियाविधिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।"

⁸ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 65 के जरिये अंतर्विष्ट किया गया।

(बी) विप्रेषण की तारीख⁹ से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए समय विस्तार प्रदान करने के बारे में विचार करते समय आयातक का कुल बकाया एक मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये औसत आयात विप्रेषणों का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होता है और ;

(सी) जहां पर एडी श्रेणी- 1 बैंकों ने समय विस्तार प्रदान कर दिया है, वहां जिस तारीख तक समय विस्तार प्रदान किया गया है उस तारीख का 'टिप्पणियाँ' स्तम्भ में उल्लेख किया जाए।

(iii) उपर्युक्त अनुदेशों में शामिल न किये गये / उपर्युक्त सीमाओं से अधिक के मामले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास भेजे जाएं।

¹⁰(iv) उपर्युक्त बातों की "प्रवेश बिल समय विस्तार" के संदेश के रूप में आईडीपीएमएस में रिपोर्ट की जाएगी और जिस तारीख तक समय विस्तार प्रदान किया गया है उसे 'विस्तार की तारीख' स्तम्भ में दर्शाया जाएगा ।

बी.6. विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपयों का आयात

- (i) जब तक कि विनियमावली में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, तब तक कोई भी व्यक्ति, रिज़र्व बैंक की विशेष अथवा सामान्य अनुमति के बिना कोई भी विदेशी मुद्रा भारत में नहीं लाएगा/ उसका आयात नहीं करेगा। विदेशी मुद्रा के आयात पर, जिसमें चेक भी शामिल हैं, [11 दिनांक 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6\(आर\)/ 2015-आरबी](#) के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000, जिसे समय समय पर अद्यतन किया गया है, के प्रावधान लागू होते हैं।
- (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अधीन, रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति को भारत सरकार और/अथवा रिज़र्व बैंक के मुद्रा नोटों को भारत में लाने के लिए अनुमति दे सकता है।

बी.6.1. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात

कोई भी व्यक्ति

- (i) भारत में मुद्रा नोट, बैंक नोट और यात्री चेकों को छोड़ कर बिना किसी सीमा के किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा भेज सकता है।
- (ii) भारत में भारत के बाहर से किसी भी जगह से इस शर्त के अधीन बिना किसी सीमा के विदेशी मुद्रा (जारी न किये गये नोटों को छोड़ कर) ला सकता है कि वह भारत में आगमन के पश्चात एयरपोर्ट पर स्थित सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्राधिकारियों को इस विनियमावली से साथ संलग्न मुद्रा घोषणा फार्म (सीडीएफ) में उसकी घोषणा करेगा। साथ ही, यह भी शर्त है कि इस प्रकार घोषणा करना उस मामले में आवश्यक नहीं होगा, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा मुद्रा नोट, बैंक नोट, और यात्री चेकों सहित नोटों के रूप में लायी गयी विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य एक समय में 10,000 अमरीकी डॉलर (दस हजार अमरीकी डॉलर) अथवा उससे समतुल्य राशि से अधिक न हो और/अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में लाया गया केवल विदेशी मुद्रा नोटों (नकदी मुद्रा का हिस्सा) का मूल्य किसी एक समय में 5000 अमरीकी डॉलर (पांच हजार अमरीकी डॉलर) अथवा उसके सम तुल्य राशि से अधिक नहीं हो।

⁹ स्पष्टीकरण: इसे शिपमेंट की तारीख माना जा सकता है।

¹⁰ दिनांक 06 अक्टूबर 2006 के एपी [डीआईआर] भ्रूखला के परिपत्रसं. 5 द्वारा जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया.

¹¹ इसे दिनांक 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं.फेमा 6(आर)/ 2015-आरबी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है; प्रतिस्थापन से पूर्व इसे दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 06/2000 आरबी पढ़ा जाता था।

बी. 6.2. भारतीय मुद्रा और मुद्रा नोटों का आयात

- (i) भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति, जो किसी अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया था, भारत में अपनी वापसी के दौरान भारत के बाहर के किसी भी देश से [नेपाल और भूटान को छोड़ कर] भारत सरकार के तथा रिज़र्व बैंक के 25,000 रुपयों से अनधिक [पच्चीस हजार रुपये मात्र] राशि ला सकता है।
- (ii) कोई भी व्यक्ति भारत में नेपाल और भूटान से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के 100/- रुपयों तक के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों में कितनी भी राशि ला सकता है।

बी.7. आयात के लेनदेनों के लिए तीसरी पार्टी को भुगतान

एडी श्रेणी-। बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का आयात करने के लिए किसी तीसरी पार्टी को भुगतान करने की अनुमति है:

- ए) सुनिश्चित अपरिवर्तनीय खरीद आदेश / त्रिपक्षीय करार किया हुआ होना चाहिए। तथापि, जहां तीसरी पार्टी को भुगतान करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो / उस अपरिवर्तनीय आदेश में तीसरी पार्टी के नाम का उल्लेख हो / इनवाईस प्रस्तुत किया गया हो, वहां इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए।
- (बी) प्राधिकृत बैंक उक्त लेनदेन की सदाशयता से संतुष्ट हो और उन लेनदेनों पर कार्रवाई करने से पहले वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स [एफ ए टी एफ] के विवरण पर विचार करें ;
- (सी) इनवाईस में इस आशय का वर्णन होना चाहिए कि भुगतान तीसरी पार्टी को [नामित पार्टी को] किया जाना है;
- (डी) प्रवेश बिल में शिपमेंट करनेवाले का नाम तथा यह वर्णन भी होना चाहिए कि संबंधित भुगतान तीसरी पार्टी को [नामित पार्टी] को किया जाना है;
- (ई) आयातक को माल का आयात करने के लिए किये जाने वाले अग्रिम भुगतानों सहित आयातों से संबंधित भुगतानों के बारे में मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन करना चाहिए।

बी.8. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा गारंटियां जारी करना

बी.8.1 प्राधिकृत व्यापारी भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा आस्थगित भुगतान की शर्तों पर आयातक के रूप में लिये गये किसी ऋण, दायित्व, अथवा अन्य किसी देयता के लिए जो बाहर के निवासी को देय है [owned to], ऐसी शर्तों पर आयात के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार गारंटी जारी कर सकता है।

बी.8.2 प्राधिकृत व्यापारी माल के आयात हेतु भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा लिए गये किसी ऋण, दायित्व, अथवा अन्य किसी देयता के लिए जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति [माल के विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक या वित्तीय संस्था होने के नाते] को देय है, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित विदेशी व्यापार नीति के तहत अनुमत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित की जानेवाली शर्तों के अधीन गारंटी, वचन पत्र या लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी कर सकता है।

बी.8.3 प्राधिकृत व्यापारी अपना सामान्य कारोबार करते समय अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में सेवा आयातक निवासी ग्राहक की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन गारंटी दे सकता है :

बशर्ते सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार / राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रम को छोड़ कर अन्य किसी सेवा आयातक की ओर से 500,000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समकक्ष राशि के लिए गारंटी जारी नहीं की जाएगी:

साथ ही, यह भी शर्त है कि जहां सेवा आयातक सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार का विभाग/उपक्रम है, वहां 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समकक्ष राशि की कोई भी गारंटी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी।

बी.8.4 प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी किये गये निदेशों के अधीन भारत के निवासी व्यक्ति को प्रचलित विदेश व्यापार नीति के अनुसार और सरकार द्वारा दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएस आर 381 [ई] के द्वारा तैयार की गयी विदेशी मुद्रा प्रबंधन [चालू खाता लेनदेन] नियमावली, 2000 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत समय-समय पर जारी निदेशों के अंतर्गत दिए गए परिचालन पट्टे [ऑपरेटिंग लीज़] के माध्यम से किये जानेवाले आयात के वित्तपोषण के लिए पारदेशीय पट्टाकर्ता [लेस्सर] के पक्ष में कॉर्पोरेट गारंटी जारी करने की अनुमति दे सकता है।

भाग III – आयात के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश

सी.1. अग्रिम विप्रेषण

सी.1.1. माल के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

- (i) एडी श्रेणी-1 बैंक माल के आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन बिना किसी उच्चतम सीमा के अग्रिम विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं:
- ए) यदि अग्रिम विप्रेषण की राशि 200,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक हो तब भारत के बाहर स्थित किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बैंक से एक बिनाशर्त अपरिवर्तनीय स्टैंड-बाई साख पत्र अथवा गारंटी, या यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर स्थित किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी प्रति गारंटी के समक्ष जारी की गयी हो तो भारत में किसी एडी श्रेणी-1 बैंक द्वारा जारी गारंटी, प्राप्त की जाए।
- बी) जहां आयातक [सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रम को छोड़ कर] विदेशी आपूर्तिकर्ता से गारंटी पाने में असमर्थ हो और एडी श्रेणी-1 बैंक उस आयातक के पिछले ट्रैक रिकार्ड और उसकी सदाशयता से संतुष्ट हो तो 5,000,000 अमरीकी डॉलर [पांच मिलियन अमरीकी डॉलर] तक का अग्रिम विप्रेषण करने के लिए बैंक गारंटी/ स्टैंड-बाई साख पत्र के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। एडी श्रेणी-1 बैंक ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा तैयार की गयी नीति के अनुसरण में अपने स्वयं के आंतरिक दिशानिर्देश बना लें।
- सी) यदि सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रम जो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक से अग्रिम भुगतान के समक्ष गारंटी पाने की स्थिति में नहीं हो तो उसे 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक राशि का अग्रिम विप्रेषण करने से पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से बैंक गारंटी के लिए विशिष्ट छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(ii) आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण करने के लिए किए गए सभी भुगतान ¹²निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे और सभी एडी बैंकों को आईडीपीएमएस में ऐसे सभी बाहरी विप्रेषणों के लिए बाहरी विप्रेषण सन्देश [ओआरएम] बनाना होगा और मौजूदा आईडीपीएमएस दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

सी.1.2. कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

- ए) एडी श्रेणी-1 बैंकों को ऐसी पारदेशीय खनन कंपनियों के बारे में निर्णय लेने के लिए अनुमति दी गयी है, जिन्हें कोई आयातक [सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रम को छोड़ कर] किसी सीमा/ बैंक गारंटी/ स्टैंड बाई साख पत्र के बिना अग्रिम भुगतान कर सकता है। बैंकों को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए:
- i. पारदेशीय खनन कंपनी के पास जीजेईपीसी की सिफारिश होनी चाहिए।

¹² दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 5 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

- ii. आयातक कच्चे हीरों पर प्रक्रिया करनेवाला मान्यता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए और उसका पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए ।
- iii. एडी श्रेणी-1 बैंकों को ऐसे लेनदेन उसकी सदाशयता से संतुष्ट होने के बाद अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर लेने चाहिए ।
- iv. अग्रिम भुगतान अनिवार्यतः बिक्री संविदा की शर्तों के अनुरूप ही किये जाने चाहिए और उन्हें सीधे ही संबंधित कंपनी के खाते में ही अर्थात् अंतिम लाभार्थी के खाते में जमा किया जाना चाहिए; न कि संख्याकृत खातों [numbered accounts] अथवा अन्य किसी प्रकार से । एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे सभी बाहरी विप्रेषणों के लिए आईडीपीएमएस में बाहरी विप्रेषण सन्देश [ओआरएम] बना लिये हैं ।
- v. साथ ही, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सावधानी बरती जाए कि कोम्प्लैक्ट हीरे [किम्बरले प्रमाणपत्र] आयात करने के लिए विप्रेषण करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- vi. एडी श्रेणी-1 बैंकों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी का अनुपालन करना चाहिए और समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।
- vii. एडी श्रेणी-1 बैंकों को प्रवेश बिल / कच्चे हीरों की देश में आयात किये जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रस्तुति पर इससे संबंधित अधिनियम/ नियमावली/ विनियमावली/ जारी किये गये निदेशों के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।
- बी) सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रम की आयातक संस्था के मामले में, एडी श्रेणी-1 बैंक उपर्युक्त शर्तों के अधीन और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक गारंटी देने से विशिष्ट छूट प्रदान किए जाने के बाद, जहां अग्रिम भुगतान के राशि 100,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य [एक लाख अमरीकी डॉलर] या उससे अधिक है, अग्रिम विप्रेषण के लिए की अनुमति दे सकते हैं ।
- ¹³viii. आयातक द्वारा घोषित एडी कोड के आधार पर बैंक ईडीआई पत्तनों [पोर्ट] द्वारा जारी प्रवेश बिल [बीओई] आईडीपीएमएस में "बीओई मास्टर्स" से डाउन लोड करें । गैर ईडीआई पत्तनों [पोर्ट] के मामले में आयातक के एडी बैंक वे बीओई आंकड़ें आईडीपीएमएस के सन्देश फार्मेट में ग्राहक / कस्टम्स कार्यालय से बीओई मिलने पर दैनिक आधार पर 'मैनुअल बीओई रिपोर्टिंग' में अपलोड करेगा ।
- ix. एडी बैंक बीओई के ब्योरो की प्रविष्टी करेगा और सन्देश फार्मेट के अनुसार ओआरएम को "बीओई निपटान" के अनुसार निपटा देगा [मार्क ऑफ] ।
- x. बीओई प्राप्त होने के बाद अगर भुगतान किया गया हो तो एडी बैंक आयातक ग्राहक द्वारा "बीओई निपटान" सन्देश फार्मेट के अनुसार किये गये आयात संबंधी भुगतानों का ओआरएम तैयार करेंगे ।
- xi. एक बीओई के लिए कई सारे ओआरएम तथा कई सारी बीओई के लिए एक ही ओआरएम निपटाया जा सकता है ।

सी.1.3. एयर क्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर और विमानन संबंधी अन्य खरीद के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

1. एक क्षेत्र विशेष उपाय के रूप में जिन संस्थाओं को मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर [उपयोग किये गये और सेकण्ड हैण्ड एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर सहित] आयात करने के लिए अनुमति दी गयी है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जिसे नागर विमानन निदेशालय [डीजीसीए] द्वारा अनुसूचित अथवा गैर- अनुसूचित [एयर टैक्सी सेवाओं]

¹³ दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये viii से xi. जोड़ा [इन्वर्ट किया] गया

सहित] हवाई परिवहन सेवा के परिचालन के लिए अनुमति दी गयी है, वे बैंक गारंटी अथवा बिना शर्त अपरिवर्तनीय स्टैंड बाई साख-पत्र के बगैर 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अग्रिम विप्रेषण कर सकते हैं। तदनुसार, एडी श्रेणी-1 बैंक बिना कोई बैंक गारंटी प्राप्त किये अथवा बिना शर्त अपरिवर्तनीय साख पत्र लिए बगैर, प्रत्येक एयरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर तथा विमानन संबंधी अन्य खरीदों के आयात के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अग्रिम विप्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं।

2. एयरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर तथा विमानन संबंधी अन्य खरीदोंके आयातक जो उपर्युक्त खंड [1] के लिए पात्र नहीं हैं, वे उपर्युक्त पैरा सी.1.1. के अनुसरण में बैंक गारंटी के बिना अग्रिम विप्रेषण कर सकते हैं।
3. उपर्युक्त 1 और 2 में उल्लिखित लेनदेनों के लिए किये गये विप्रेषण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
 - i. एडी श्रेणी-1 बैंकों को ऐसे लेनदेनों की सदाशयता से संतुष्ट होने के बाद अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर ऐसे लेनदेन करने चाहिए। एडी श्रेणी-1 बैंकों को भारतीय आयातक संस्था एवं पारदेशीय विनिर्माण कंपनी के लिए भी केवाईसी और अन्य यथोचित सावधानियां बरतनी चाहिए।
 - ii. अग्रिम भुगतान केवल बिक्री करार के शर्तों के अनुसार ही और संबंधित उत्पादक [आपूर्तिकर्ता] के खाते में सीधे ही जमा करते हुए किये जाने चाहिए।
 - iii. एडी श्रेणी-1 बैंकों को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपने निदेश बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं के आंतरिक दिशानिर्देश तैयार कर लेने चाहिए।
 - iv. सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रम के मामले में एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम विप्रेषणों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने विशेष रूप से हटा दिया है।
 - v. भारत में माल का वास्तविक आयात विप्रेषण की तारीख से छः महीनों के भीतर [पूँजीगत सामान के मामले में तीन वर्षों के भीतर] किया जाना चाहिए और आयातक को संबंधित अवधि समाप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आयात के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बारे में वचन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां संविदा कार्यान्वयन भुगतान के रूप में यह अग्रिम भुगतान किया गया है वहां ठेके की शर्तों के अनुसार किये गये अंतिम विप्रेषण की तारीख को आयात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा।
 - vi. विप्रेषण करने से पहले एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित अनुसूचित हवाई सेवा देने वाले परिचालकों को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिया गया सैद्धांतिक अनुमोदन और अन्य मामलों में नागरी विमानन महानिदेशालय / अन्य एजेंसियों द्वारा मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अनुसरण में दिया गया अनुमोदन आयात के लिए प्राप्त है।
 - vii. एयर क्रफ्ट और विमानन क्षेत्र से संबंधित अन्य उत्पादों का आयात न किये जाने पर एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम विप्रेषण की राशि को भारत में तत्काल प्रत्यावर्तित किया जाता है।
यदि उपर्युक्त निर्धारित शर्तों में कोई विचलन होने पर [डीविएशन] उसके लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

- ¹⁴viii. संबंधित एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित ओआरएम आदि के साथ मौजूदा IDPMS दिशा-निर्देशों के अनुसार ओआरएम, बीओई प्रविष्टियाँ, और बीओई निपटान बनाये [जनरेट किये] जाते हैं।

सी .1.4.सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

एडी श्रेणी-1 बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवाओं के आयात के लिए बिना किसी सीमा के अग्रिम के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :

- ए) जहां अग्रिम की राशि 500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक हो वहां पारदेशीय लाभार्थी से भारत के बाहर के किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बैंक द्वारा जारी की गयी गारंटी अथवा यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर के किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बैंक द्वारा जारी की गयी प्रति गारंटी के बदले जारी की गयी होतो भारत के किसी एडी श्रेणी-1 बैंक द्वारा जारी की गयी गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए।
- बी) सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/ उपक्रमके मामले में 100,000 अमरीकी डॉलर [एक लाख अमरीकी डॉलर] अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक का आयात करने के लिए यदि बिना किसी गारंटी के अग्रिम विप्रेषण करना हो तो उसके लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।
- सी) एडी श्रेणी-1 बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करें कि उस अग्रिम विप्रेषण का लाभार्थी भारत में विप्रेषणकर्ता के साथ किये गये संविदा अथवा करार की शर्तों के अनुसार अपना दायित्व पूरा करता है। यदि वह इसमें असफल होता है तो किये गये विप्रेषण की राशि भारत में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।
- ¹⁵(डी) एडी श्रेणी-1 बैंक यह सुनिश्चित करें कि IDPMS के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ओआरएमबनायी गयी है और IDPMS आदि में उसे मार्क ऑफ भी किया गया है ।

सी.2. आयात बिलों पर ब्याज

- (i) एडी श्रेणी-1 बैंक मीयादी बिलों पर अथवा विलंबित भुगतान के कारण अतिदेय ब्याज पर व्यापार ऋण के लिए समय-समय पर निर्धारित दर पर शिपमेंट की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ब्याज की अदायगी कर सकते हैं ।
- (ii) मीयादी आयात बिलों के समय पूर्व भुगतान के मामले में जिस दर पर ब्याज का दावा किया गया है, उस दर से अथवा जिस मुद्रा में सामान की इन्वाइसिंग की गयी है, उस मुद्रा के लिए लिबोर/ कोई अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत/ वैकल्पिक संदर्भ दर, जो भी लागू हो, से गणना करते हुए मीयाद की बची हुई अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर ब्याज की राशि को घटाने के बाद ही विप्रेषण किया जाए। जहाँ ब्याज के लिए अलग से दावा नहीं किया गया है अथवा उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे मामले में जिस मुद्रा में सामान की इन्वाइसिंग की गयी है, उस मुद्रा के लिए लिबोर/ कोई अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत/ वैकल्पिक संदर्भ दर¹⁶, जो भी लागू हो, से गणना करते हुए मीयाद की बची हुई अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर ब्याज की राशि को घटाने के बाद ही विप्रेषण की अनुमति दी जाए।

¹⁴ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

¹⁵ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 5 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया।

¹⁶ दिनांक 28 सितम्बर 2021 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 13 के जरिये viii से xi. जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया ।

- ¹⁷(iii) उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के कारण मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो संबंधित एडी श्रेणी। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा IDPMS दिशानिर्देशों के अनुसार ओआरएम मार्क ऑफ करने के लिए IDPMS आदि में यथोचित टिप्पणी / संकेत दर्ज किया जाता है।

सी.3. एवजी आयातों के लिए विप्रेषण

जहां माल की कम आपूर्ति की जाती है अथवा वे क्षतिग्रस्त रूप में पहुंचते हैं अथवा कम मात्रा में पहुंचते हैं या मार्ग में ही कहीं खो जाते हैं और जहां ऐसे मामलों में आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि का खोया हुआ मूल सामान को कवर करने के लिए साख पत्र खोलने हेतु पहले ही उपयोग किया जा चुका है, वहां एडीश्रेणी-। बैंक रिज़र्व बैंक को इसके बारे में कोई सूचना दिये बिना खोये हुए माल के मूल्य की मात्रा तक मूल पृष्ठांकन को रद्द कर सकते हैं और एवजी आयात के लिए नया विप्रेषण करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते खोये हुए सामान के संबंध में बीमे का दावा आयातक के पक्ष में निपटाया गया हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस सामान को प्रतिस्थापित किया जा रहा है उसे उस लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर ही भेजा जाता है। ¹⁸एडी श्रेणी-। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IDPMS आदि में मौजूदा IDPMS दिशानिर्देशों के अनुसार ओआरएम मार्क ऑफ / बिलों के समापन के लिए यथोचित टिप्पणी / संकेत दर्ज किया जाता है।

सी.4. एवजी आयात के लिए गारंटी

अगर विदेशी आपूर्तिकर्ता दोषपूर्ण सामान के बदले एवजी सामान, पूर्व में प्राप्त दोषपूर्ण सामान को भारत से बाहर भेजने से पूर्व भेज रहा हो तो एडी श्रेणी-। बैंक आयातक के अनुरोध पर दोषपूर्ण सामान को लौटाने/ भेजने के लिए अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर गारंटी जारी कर सकते हैं।

सी.5. कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग [बीपीओ] कंपनियों द्वारा उनकी पारदेशीय साइटों के लिए उपस्करों का आयात

एडी श्रेणी-। बैंक भारत में बीपीओ कंपनियों को उनके अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर्स [आईसीसी] की स्थापना के लिए आयात किये जानेवाले और उनकी पारदेशीय साइटों पर स्थापित किये जाने वाले उपस्करों की लागत के लिए विप्रेषण करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दे सकते हैं :

- (i) उस बीपीओ कंपनी ने आईसीसी स्थापित करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त की हो।
 - (ii) एडी श्रेणी-। बैंक अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर और उस लेनदेन की सदाशयता से संतुष्ट होने के बाद करार की शर्तों के अनुसार ही ऐसे विप्रेषण की अनुमति दें।
 - (iii) ऐसा विप्रेषण सीधे ही विदेशी आपूर्तिकर्ता के खाते में किया जाना चाहिए।
 - (iv) एडी श्रेणी-। बैंक उस आयातक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अथवा लेखा परीक्षक से आयात के साक्ष्य के रूप में इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे कि जिस सामान के लिए विप्रेषण किया गया था उसे वास्तव में आयात किया गया है और विदेशी साइटों पर स्थापित किया गया है।
- ¹⁹(v) एडी श्रेणी-। बैंक को यथालागू IDPMS दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

¹⁷ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

¹⁸ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

¹⁹ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

सी.6. आयात बिल / दस्तावेजों की प्राप्ति

²⁰एडी श्रेणी के संबंधित बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ओआरएम, बीओई की प्रविष्टियों को जनरेट किया गया है और उसके लिए संबंधित ओआरएम के साथ बीओई का निपटान करने के लिए यथा लागू IDPMS दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

सी.6.1. आयातक द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता से सीधे ही आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

भारत के आयातक के बैंकर को आपूर्तिकर्ता के बैंकर से आयात संबंधी बिल और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए। अतः एडी श्रेणी-1 बैंक को जहां विदेशी आपूर्तिकर्ता से आयात बिल सीधे ही आयातकों को मिला है ऐसे मामले में केवल निम्नलिखित उदाहरणों को छोड़ कर, विप्रेषण नहीं करना चाहिए:

- (i) जहां आयात बिल का मूल्य 300,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होता है।
- (ii) विदेशी कंपनियों की पूर्ण स्वामित्ववाली भारतीय सहायक कंपनियों को विदेशों के मालिकों से प्राप्त आयात बिल।
- (iii) विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित स्टेटस धारक आयातकों, 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिट/ विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।
- (iv) सभी लिमिटेड कंपनियों अर्थात् पब्लिक लिमिटेड, डीमड पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

सी.6.2. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के मामले में आयातक द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

एक क्षेत्र विशेष के उपाय के रूप में एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे जहां कच्चे हीरे, मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्नों का आयात करने वाले आयातक को उसके विदेशी आपूर्तिकर्ता से सीधे ही आयात के बिल/दस्तावेज प्राप्त हुए हो, और आयात के दस्तावेजी सबूत आयातक ने विप्रेषण करते समय प्रस्तुत किये हों, वहां स्टेटस रहित आयातकों को 300,000 अमरीकी डॉलर तक का आयात करने के लिए विप्रेषण की अनुमति प्रदान करें,। विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित स्टेटस धारक आयातक, जो कच्चे हीरे, कच्चे मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्नों का व्यापारी है, आपूर्तिकर्ता से सीधे ही बिना किसी सीमा के आयात बिल प्राप्त कर सकता है। एडी श्रेणी-1 बैंकों निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे लेनदेन कर सकते हैं:

- (i) उक्त आयात प्रचलित विदेश नीति के अनुसरण में किया जा रहा है।
- (ii) ये लेनदेन उनके वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किये जा रहे हैं और वे उन लेनदेनों की सदाशयता से संतुष्ट हैं।
- (iii) एडी श्रेणी-1 बैंकों को केवाईसी और अन्य सारी यथोचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा आयातक ग्राहक की वित्तीय साख / स्थिति और उसके पिछले रिकार्ड से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। यह सुविधा प्रदान करने से पहले उन्हें विदेशी बैंकर अथवा विदेशी क्रेडिट स्तर निर्धारण एजेंसी से प्रत्येक विदेशी आपूर्तिकर्ता के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

²⁰ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

सी.6.3. एडी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ही आयात दस्तावेज प्राप्त होना

- (i) यदि आयातक ग्राहक अनुरोध करता है तो एडी श्रेणी-1 बैंक पारदेशीय आपूर्तिकर्ता से सीधे ही बिल प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह आयातक ग्राहक की वित्तीय साख / स्थिति और उसके पिछले रिकार्ड से पूर्णतः संतुष्ट हो।
- (ii) यह सुविधा प्रदान करने से पहले एडी श्रेणी-1 बैंक को सामुद्रपारीय बैंकर अथवा ख्याति प्राप्त पारदेशीय क्रेडिट स्तर निर्धारण एजेंसी से प्रत्येक सामुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए। तथापि, उस सामुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जहां इनवॉइस वैल्यू 300,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होती है, बशर्ते एडी श्रेणी-1 बैंक उस लेन-देन की सदाशयता से और आयातक ग्राहक के पिछले रिकार्ड से संतुष्ट हो।

सी .7. आयात की साक्ष्य

सी 7.1. वास्तविक आयात

- ²¹(i) सभी आयातों के मामले में, भले ही भारत में उन आयातों के लिए कितनी ही राशि का विप्रेषण किया गया हो / अदायगी की गयी हो, एडी श्रेणी-1 बैंक का, जिसके माध्यम से वह विप्रेषण किया गया था, यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि आयातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है :
22
- ए) आयातक पैरा सी.8 में दिए गए अनुसार प्रवेश बिल संख्या, पत्तन कूट संख्या तथा आईडीपीएमएस में आयात के साक्ष्य को मार्क करने की तारीख प्रस्तुत करेगा।
- बी) इस बात के साक्ष्य के रूप में कि जिस माल के लिए भुगतान किया गया था उन्हें वास्तव में भारत में आयात किया जा चुका है, कस्टम्स मूल्यांकन प्रमाणपत्र अथवा यदि डाक द्वारा आयात किया हो तो आयातक द्वारा कस्टम्स प्राधिकारियों को घोषित किए गए अनुसार डाक मूल्यांकन प्रमाणपत्र, अथवा जहाँ सामान कूरियर से आयात किया गया था वहाँ कुरिएर कंपनियों द्वारा कस्टम्स प्राधिकारियों को घोषित कूरियर कंपनी का प्रवेश बिल; अथवा
- सी) आयात किये गये तथा किसी मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र [एफटीडब्ल्यूजेड] अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट के गोदाम में अथवा कस्टम के गोदाम आदि में रखे गये सामान के लिए एक्स बांड बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि अथवा किसी अन्य नाम में कस्टम्स प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रवेश बिल के संबंध में आयातक पैरा सी.8 में दिए गए अनुसार यथालागू प्रवेश बिल संख्या, पत्तन कूट संख्या तथा आईडीपीएमएस में आयात के साक्ष्य को मार्क करने की तारीख प्रस्तुत करेगा

²¹ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 65 के जरिये संशोधित किया गया। संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था "सभी आयातों के मामले में, जहाँ भारत में उन आयातों के लिए विप्रेषित/ अदायगी की गयी राशि 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक हो, वहाँ एडी श्रेणी-1 बैंक का, जिसके माध्यम से वह विप्रेषण किया गया था, यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि आयातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है"

²² मद सं. (i) तथा मद सं. (ii) की उप-मदों को दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 27 के जरिये संशोधित किया गया। संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था "(ए) घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतिलिपि, अथवा 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिटों द्वारा गोदाम के लिए प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतिलिपि, अथवा (बी) इस बात के सबूत के रूप में कि जिसके लिए भुगतान किया गया था उन्हें वास्तव में भारत में आयात किया जा चुका है, (सी) कस्टम्स मूल्यांकन प्रमाणपत्र अथवा (डी) यदि आयातक ने डाक द्वारा आयात करते समय कस्टम्स प्राधिकारियों को घोषित किया हो तो डाक मूल्यांकन प्रमाणपत्र, अथवा जहाँ सामान कूरियर से मंगवाया गया था वहाँ कंपनियों द्वारा कस्टम्स प्राधिकारियों को घोषित कूरियर कंपनी का प्रवेश बिल; अथवा एक्स बांड बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि अथवा आयात किये गये तथा किसी मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र [एफटीडब्ल्यूजेड] अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट के गोदाम में अथवा कस्टम के गोदाम में रखे गये सामान के लिए किसी अन्य नाम में कस्टम्स प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रवेश बिल आदि।

(ii) जो आयात स्वीकृति आधार पर सुपुर्दगी के रूप में किये गये हैं उनके मामले में एडी श्रेणी-1 बैंक आयात बिल का विप्रेषण करते समय आयात के सबूतों के लिए आग्रह करें। तथापि, यदि आयातक वास्तविक कारणों से ऐसा दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने में असफल होता है, जैसे सामान की खेप का आगमन न होना, उसकी सुपुर्दगी न हो पाना / कस्टम्स से वह सामान वाहर ले जाने की अनुमति न मिलना, आदि; तो एडी बैंक अगर उस अनुरोध के सत्य होने के बारे में संतुष्ट हो तो आयातक को आयात के सबूत प्रस्तुत करने के लिए यथायोग्य समय विस्तार प्रदान करें जो विप्रेषण की तारीख से तीन महीनों से अधिक नहीं हो।

(ii) जो आयात स्वीकृति आधार पर सुपुर्दगी के रूप में किये गये हैं उनके मामले में एडी श्रेणी-1 बैंक आयात बिल का विप्रेषण करते समय आईडीपीएमएस से आयात के साक्ष्य का सत्यापन करेगा। तथापि, यदि आयातक वास्तविक कारणों से ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल होता है, जैसे सामान की खेप का आगमन न होना, उसकी सुपुर्दगी न हो पाना / कस्टम्स से वह सामान बाहर ले जाने की अनुमति न मिलना, आदि; तो एडी बैंक अगर उस अनुरोध के सत्य होने के बारे में संतुष्ट हो तो आयातक को आयात के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए यथायोग्य समय विस्तार प्रदान करें जो विप्रेषण की तारीख से तीन महीनों से अधिक नहीं हो।

²³(iii) एडी बैंकों को ऐसे सभी विप्रेषणों के मामले में बाहरी विप्रेषण सन्देश [ओआरएम] बनाने चाहिए फिर उनका मूल्य कुछ भी क्यों न हो, और वे IDPMS के दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, बाहरी विप्रेषण के आंकड़ें, ओआरएम के साथ उनका मिलान, लेनदेन समाप्त करना आदि जैसी बाद में निभायी जानेवाली गतिविधियों को पूरा करें।

सी.7.2. प्रवेश बिल के बदले आयात का अन्य साक्ष्य

(i) एडी श्रेणी-1 बैंक घरेलू उपभोग हेतु प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतिलिपि के बदले कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अथवा कंपनी के लेखा परीक्षक का इस आशय का प्रमाण पत्र स्वीकार करें कि जिस सामान का आयात करने के लिए विप्रेषण किया गया था वह भारत में वास्तव में आयात किया जा चुका है, बशर्ते :-

क) विप्रेषित की गयी विदेशी मुद्रा 1,000,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक नहीं है, और

ख) आयातक भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी हो और उसकी निवल मालियत उसके अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपयों से कम नहीं हो अथवा, आयातक सरकारी क्षेत्र की कंपनी हो अथवा भारत सरकार का कोई उपक्रम हो या भारत सरकार का विभाग हो।

(ii) उपर्युक्त सुविधा भारतीय विज्ञान संस्थान/ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि जैसे सायंटिफिक निकायों / शैक्षिक संस्थाओं सहित स्वायत्त संस्थाओं को भी प्रदान की जा सकती है, जिनकी भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(सीएजी) द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। एडी श्रेणी-1 बैंक ऐसी संस्थाओं के लेखा परीक्षक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले घोषणापत्र के लिए आग्रह करें कि उस कंपनी के खातों की सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा की जा चुकी है।

²⁴(iii) बाहरी विप्रेषण संदेश बनाया जाना चाहिए और IDPMS में "बीओई" मास्टर से [ईडीआई पोर्ट के मामले में] प्रवेश बिल को डाउनलोड किया जाना चाहिए। गैर ईडीआई पोर्ट के मामले में उसकी दोहरी प्रतिलिपि/ कस्टम्स द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए अथवा भा.रि.बैंक से बीओई की प्रस्तुति से छूट दिए जाने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

सी.7.3. अभौतिक आयात [Non-physical]

(i) जहां आयात अभौतिक रूप में [गैर फिजिकल] किये गये हैं, जैसे इंटरनेट/ डाटाकोम चैनल के माध्यम से सॉफ्टवेयर / कोई डाटा और ई मेल / फैक्स के माध्यम से ड्राइंग / डिजाइन आदि तो इस संबंध में आयातक को उसके सनदी लेखाकार से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि उक्त सॉफ्टवेयर, डाटा / ड्राइंग / डिजाइन प्राप्त हो गया है।

²³ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

²⁴ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 65 के जरिये और दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्रसं. 5 के जरिये 2016 [इन्सर्ट किया] गया।

- (ii) एडी श्रेणी-1 बैंक आयातक को यह सूचित करे कि वह इस खंड के अंतर्गत उसने जो आयात किये हैं उसकी सूचना कस्टम्स प्राधिकारियों को देकर रखे।²⁵

26सी.8. IDPMS के लिए ब्योरेवार परिचालन संबंधी क्रियाविधि

परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- i. एडी बैंकों को चाहिए कि वे अपने आयातक ग्राहक की ओर से उन सभी मामलों में उसके द्वारा किये गये सभी आयातों के संबंध में किये गये सभी बाहरी विप्रेषणों के लिए बाहरी विप्रेषण सन्देश [ओआरएम] बनाएं जिनकी साक्ष्य के रूप में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- ii. आयात भुगतानों के लिए किये गये सभी बकाया विप्रेषणों के लिए ओआरएम दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को अथवा उसके पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

बीओई के साथ ओआरएम का निपटान

iii) आयातक द्वारा घोषित किये गये एडी कोड के आधार पर बैंक IDPMS में बीओई मास्टर से ईडीआई पत्तनों [पोर्ट] द्वारा जारी किये गये प्रवेश बिल को डाउनलोड कर लेंगे। गैर ईडीआई पत्तनों के मामले में आयातक का एडी बैंक ग्राहक/ कस्टम्स कार्यालय से बीओई प्राप्त होने पर बीओई का डाटा मैसेज फ़ारमेट "मैनुअल बीओई रिपोर्टिंग" के अनुसार IDPMS में दैनिक आधार पर अपलोड करेगा।²⁷ कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए तथा लेनदेन लागत, आयात दस्तावेजों की साक्ष्य के रूप में हार्डकॉपी जैसे प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण कॉपी की प्रस्तुति को 1 दिसंबर 2016 से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वह आईडीपीएमएस में उपलब्ध है। संशोधित क्रियाविधि नीचे दिए गए अनुसार है:

- iv) एडी बैंक बीओई के ब्योरे [बीओई संख्या, पोर्ट का कोड, और तारीख] आयात के लेनदेनों के लिए किये गये अग्रिम भुगतान से संबंधित ओआरएम में "बीओई निपटान" के संदेश फ़ारमेट में दर्ज करेगा।
- v) बीओई प्राप्त होने के बाद यदि भुगतान किया गया हो तो एडी बैंक उसके आयातक ग्राहक द्वारा किये गये आयात भुगतान के लिए "बीओई निपटान" के सन्देश फ़ारमेट में ओआरएम बना लेंगे।
- vi) एक बीओई के समक्ष अनेक ओआरएम और अनेक बीओई के समक्ष एक ओआरएम निपटाया जा सकता है।

- ²⁸vii) आयात की साक्ष्य के साथ ओआरएम के निपटान पर एडी श्रेणी-1 का बैंक सभी मामलों में आयातक को एक प्राप्ति सूचना स्लिप जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्योरे शामिल होंगे:
- ए. आयातक के कोड नंबर सहित उसका नाम तथा पता

बी. प्रवेश बिल की संख्या तथा तारीख तथा आयात की राशि; तथा

सी. आयातक के लिए प्रवेश बिल की संख्या तथा राशि तथा निपटान नहीं किए गए ओआरएम पर एक संक्षिप्त अनुस्मारक।

- ²⁹viii) आयातक को भावी उपयोग के लिए आयात की साक्ष्य तथा प्राप्ति सूचना स्लिप के रूप में प्रवेश बिल की मुद्रित 'आयातक प्रतिलिपि' को संभाल के रखना होगा।

²⁵ स्पष्टीकरण: ओआरएम अभौतिक आयातों पर लागू नहीं है।

²⁶ दिनांक 05 अक्टूबर 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 5 के जरिये संशोधित किया गया; संशोधन के पूर्व इसे "प्राप्ति सूचना जारी करना: एडी श्रेणी के बैंकों को आयात लेनदेन संबंधी सभी संबंधित विवरणों को शामिल करने वाली पावती की स्लिप जारी करके आयातकों से आयात के साक्ष्य उदाहरण के लिए प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण कॉपी, डाक मूल्यांकन फॉर्म अथवा कस्टम्स मूल्यांकन प्रमाणपत्र आदि की प्राप्ति की सूचना देनी चाहिए "

²⁷ दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डीआईआर] शृंखला परिपत्र सं.27 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

²⁸ दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डीआईआर] शृंखला परिपत्र सं.27 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

²⁹ दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डीआईआर] शृंखला परिपत्र सं.27 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

विस्तार तथा बट्टे खाते डालना (राइट-ऑफ)

- ix) एडी श्रेणी-1 बैंक बीओई प्रस्तुत करने के लिए इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के बादसमय विस्तार प्रदान कर सकते हैं और उसे "प्रवेश बिल समय विस्तार" संदेश के अनुसार आईडीपीएमएस में रिपोर्ट किया जाएगा तथा "विस्तार की तारीख" स्तम्भ में जिस तारीख तक समय विस्तार प्राप्त हुआ थाउसे निर्दिष्ट किया जाएगा।
- x) एडी श्रेणी-1 बैंक IDPMS में उन बीओई / ओआरएम को समाप्त करने के बारे में विचार कर सकते हैं जहां कुछ परिचालन संबंधी कारणों से और एडी बैंक आयातक द्वारा इसके लिए प्रस्तुत किये गये कारणों से संतुष्ट है, बीओई में घोषित इनवाइस मूल्य की तुलना में किये गये वास्तविक विप्रेषण में अंतर आता हो और जहां 5 प्रतिशत की सीमा तक को बट्टे खाते डाला जाना शामिल है।
- xi) जहां माल की गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या होने, माल की कम आपूर्ति किए जाने अथवा पोर्ट/कस्टम्स/स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने इस मामले में जारी किये गये मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मालनष्ट कर देने के कारण उन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, वहाँ, ऐसे मामलों में उसमें निहित राशि कुछ भी क्यों न हो, उसके बारे में आयातक द्वारा संतोषजनक दस्तावेजोंकी प्रस्तुति किए जाने के अधीन एडी श्रेणी-1 बैंक ऐसे आयात लेनदेनों की बीओई को समाप्त कर सकते हैं। एडी श्रेणी-1 बैंक आईडीपीएमएस में यथोचित "समायोजन संकेतक" ["Adjustment Indicator"] के साथ ओआर एम / बीओई का निपटान करते हुए उसे बंद कर देंगे।
- xii) समय विस्तार और बट्टे खाते डालने के संबंध में उपर्युक्त परिचालन संबंधी दिशा निर्देशों का उद्देश्य है आईडीपीएमएस में बिलों को बंद करने की क्रियाविधि को सुकर बनाना और वह इस मामले में जारी किये गये मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होगा और उससे स्थितियों में कोई परिवर्तन आने के मामले में आयातक को राशि विप्रेषित / प्राप्त करने से कोई छूट नहीं मिलेगी।
- xiii) बट्टे खाते डालने की अनुमति देते हुए एडी श्रेणी - 1 बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि :
ए) उक्त मामले में कोई सिविल अथवा आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया गया है;
बी) आयातक के बारे में प्रवर्तन निदेशालय अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा कानून लागू करनेवाली अन्य किसी संस्था को प्रतिकूल सूचना नहीं मिली हो; और
सी) एक ऐसी प्रणाली सुस्थापित की गयी है जहां एडी श्रेणी-1 बैंकों के आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षक [प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षकों सहित] बट्टे खाते डाले गये आयात बिलों की आकस्मिक नमूना जांच / प्रतिशत जांच करते हैं;
- xiv) मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल न किये गये समय विस्तार और बट्टे खाते डाले जाने के मामले आवश्यक अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास भेजे जाएँ।
- ³⁰xv) प्रवेश बिल के बदले आयात की साक्ष्य के लिए मौजूदा अनुदेश तथा दिशानिर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अनुमत/ अनुमोदित परिस्थितियों में प्रवेश बिल के बदले आयात की साक्ष्य को आयातक के एडी श्रेणी -1 बैंक द्वारा आईडीपीएमएस में "मैनुअल बीओई रिपोर्टिंग" संदेश फ़ारमेट के अनुसार बीओई डाटा के रूप में बनाया तथा अपलोड किया जाएगा।

आयात के सबूतों के लिए अनुवर्ती कारवाई करना

- ³¹xvi) एडी श्रेणी-1 बैंकों को उपर्युक्त विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों के अनुसरण में आयात के लिए किए गए बाहरी विप्रेषण (अर्थात् निपटान नहीं किया गया ओआरएम) के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना जारी रखेंगे। उन मामलों में जहां ओआरएम के समक्ष नियत तिथियों को आईडीपीएमएस में आयात डाटा की संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ एडी श्रेणी-1 बैंक आयात

³⁰ दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डीआईआर] श्रृंखला परिपत्र सं.27 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

³¹ दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डीआईआर] श्रृंखला परिपत्र सं.27 के जरिये संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व इसे "एडी श्रेणी-1 बैंकों को उपर्युक्त विषयों पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में आयात के सबूतों के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करवाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।"

के दस्तावेजों साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए आयातक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। इसी प्रकार यदि निर्धारित अवधि के भीतर ओआरएम के समक्ष बीओई डाटा का निपटान नहीं होता है तो एडी श्रेणी-1 बैंक मौजूदा अनुदेशों के अनुसार आयातक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

³²सी.9. सत्यापन और परिरक्षण

- i) आंतरिक निरीक्षक तथा आईएस लेखा परीक्षकों को [प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षकों सहित] आईडीपीएमएस में "बीओई निपटान" प्रक्रिया का सत्यापन तथा आईएस लेखापरीक्षा तथा एशुरेंस करना चाहिए। एडी श्रेणी-1 बैंक का डाटा तथा उनके द्वारा "बीओई निपटान" के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसे बैंक में साइबर सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार परिरक्षित करना चाहिए।
- ii) बैंकों के आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों को [प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षकों सहित] आईडीपीएमएस में उपलब्ध दस्तावेजों से अन्य दस्तावेजों , जैसे डाक मूल्यांकन फार्म की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपियों, अथवा कस्टम्स मूल्यांकन प्रमाण पत्र आदिका आयात के साक्ष्य के रूप में सत्यापन करना चाहिए।
- iii) एडी श्रेणी-1 बैंकों को भारत में आयात किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को उनका सत्यापन किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक परिरक्षित करके रखना चाहिए। तथापि, जिन मामलों में जांच करनेवाली एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है उनके संबंध में संबंधित जांच एजन्सि से ऐसा करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उन दस्तावेजों तथा/अथवा डाटा, प्रक्रिया को नष्ट कर देना चाहिए ।

सी.10. आयात के सबूतों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई

- (i) यदि कोई आयातक धारा III के पैरा C.7 के अंतर्गतसंबंधित आयात के दस्तावेजी साक्ष्य जिसका³³विप्रेषण विदेशी मुद्रा में किया गया हो, फिर उसमें कितनी ही राशि निहित क्यों न हो, विप्रेषण की तारीख से, तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, तो एडी श्रेणी-1 बैंकों को ऐसे मामले में³⁴संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए अगले तीन महीनों तक उस पर कड़ी अनुवर्ती कार्रवाई करते रहना चाहिए। तथापि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में आयातक के साथ कम-से-कम एक संप्रेषण पंजीकृत पत्र जारी कर किया जाना चाहिए।
- ³⁵(ii) एडी श्रेणी-1 के बैंकों द्वारा उनमें निहित राशि पर ध्यान दिये बिना, सभी बकाया आयात विप्रेषणों की रिपोर्टआईडीपीएमएस में की जानी चाहिए। इसके अलावा, एडी श्रेणी-1 के बैंकों द्वारा एक अलग बीईएफ विवरणकी प्रस्तुति की आवश्यकता दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष तक होगी और बाद में बंद हो जाएगी ।
बैंक आईडीपीएमएस का संचालन शुरू होने के बाद सभी बकाया आयात विप्रेषणों की रिपोर्ट, उसमें कितनी ही राशि निहित क्यों न हो, उस प्रणाली में करेंगे और एक अलग बीईएफ विवरण बाद में अधिसूचित की जानेवाली तारीख से प्रस्तुत करने की परंपरा रद्द हो जाएगी

³² दिनांक 12 जनवरी 2017 के एपी [डीआईआर] शृंखला परिपत्र सं.27 के जरिये संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व इसे बैंकों के आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों को [प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षकों सहित] आयात के सबूत के रूप में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का, जैसे प्रवेश बिल अथवा डाक मूल्यांकन फार्म, अथवा कस्टम्स मूल्यांकन प्रमाण पत्र आदि, का सत्यापन करना चाहिए ।"

ii) एडी श्रेणी-1 बैंकों को भारत में आयात किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को उनका सत्यापन किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक परिरक्षित करके रखना चाहिए। तथापि, जिन मामलों में जांच करनेवाली एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है उनके संबंध में संबंधित जांच एजन्सि से ऐसा करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उन दस्तावेजों को नष्ट कर देना चाहिए ।

³³ दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 65 के जरिये संशोधित किया गया। संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था " 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक "

³⁴ संशोधित। संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था "आयातक को रजिस्टर्ड पत्र भेजने सहित"

³⁵ संशोधित। संशोधन के पूर्व इसे, " बैंक आईडीपीएमएस का संचालन शुरू होने के बाद सभी बकाया आयात विप्रेषणों की रिपोर्ट, उसमें कितनी ही राशि निहित क्यों न हो, उस प्रणाली में करेंगे और एक अलग बीईएफ विवरण बाद में अधिसूचित की जानेवाली तारीख से प्रस्तुत करने की परंपरा रद्द हो जाएगी" दिनांक 28 अप्रैल 2016 के एपी [डी आईआर] शृंखला परिपत्र सं. 65 के जरिये संशोधित किया गया। संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था "एडी श्रेणी - 1 बैंकों को इसके बाद हर वर्ष जून और दिसंबर के अंत में छमाही आधार पर बीईएफ फार्म में एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक उन आयातलेन देनों के ब्योरे दिये जाने चाहिए जिनके संबंध में आयातकों ने विप्रेषण की तारीख से छः महीनों के भीतर आयात किये जाने के सबूत के रूप में ऑन लाइन एक्सटेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज [एक्स बी आर एल] प्रणालीका उपयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को शाखा वार प्रस्तुतप्रस्तुतीकरण करने की प्रणाली के स्थान पर बैंक वारयथोचित दस्तावेजप्रस्तुत करने में चूक की है । ऐसा विवरण जिस छमाही से संबंधित है वह छमाही समाप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।"

³⁶सी.11 सोने का आयात

स्टार और प्रीमियर ट्रेडिंग गृह [एसटीएच / पीटीएच] दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर भुगतान के आधार पर [डीपी] अपनी पात्रता के अनुसार अंतिम उपयोग संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना सोने का आयात कर सकते हैं।

सी.11.1 सोने का आयात

- i) सोने के आयात की 20:80 की योजना दिनांक 28 नवम्बर 2014 से बंद की गयी है। तथापि, उक्त 20:80 योजना के अंतर्गत निर्यात करने का दायित्व दिनांक 28 नवम्बर 2014 के पहले आयात किये गये लेकिन अप्रयुक्त सोने के संबंध में लागू होगा।
- ³⁷ii) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित नामित बैंकों तथा नामित एजेंसियों को, कन्साइनमेंट आधार पर सोने का आयात करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त के अलावा, पात्र स्वर्णकारों को भी, जैसाकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (IIBX) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड्स के तहत सोने का आयात करने की अनुमति होगी। तथापि, घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी सोने की बिक्री अग्रिम भुगतान आधार पर होगी। नामित बैंक स्वर्ण धातु ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं।
- ³⁸iii) स्टेटस धारक निर्यातक समय समय पर संशोधित की जाने वाली मौजूदा विदेश व्यापार नीति में निहित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- iv) सोने के सिक्कों और पदकों का आयात करने की अनुमति है। तथापि, बैंकों द्वारा सोने के सिक्के और पदकों की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध अगली समीक्षा होने तक जारी रहेगा।

³⁹अब एडी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान कार्यालयों / अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों को 26 दिसंबर 2023 से निम्नलिखित विवरणियाँ केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (CIMS) पर प्रस्तुत करनी होंगी:-

(ए) छमाही [मार्च / सितम्बर के अंत तक] विवरणी, जिसमें हीरे और जवाहरात क्षेत्र में नामित बैंकों/ एजेंसियों/ पात्र स्वर्णकारों/ ईओयू/ एसईजेड द्वारा आयात किये गये सोने की मात्रा और मूल्य को भुगतान के तरीके-वार दर्शाया गया हो। कोड सं. R133 वाली इस विवरणी का नाम है 'ईओयूएसईजेड/ईपीजेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों द्वारा सोने का आयात (एम)।

;

(बी) मासिक विवरणी, जिसमें रिपोर्टिंग के माह में हीरे और जवाहरात क्षेत्र में नामित एजेंसियों [नामित बैंकों को छोड़कर]/ ईओयू/ पात्र स्वर्णकारों/ एसईजेड द्वारा आयात किये गये सोने की मात्रा और मूल्य को दर्शाया गया हो, और साथ ही, उसमें वित्तीय वर्ष के प्रथम माह से लेकर संबंधित माह की आखिरी तारीख तक की संचयी स्थिति भी दर्शायी गयी हो। कोड सं.R132 वाली इस विवरणी का नाम है 'ईओयूएसईजेड/ईपीजेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों द्वारा सोने का आयात (एम)।

³⁶ हटा दिया

³⁷ आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत सोने की आयात नीति शर्तों में संशोधन पर 05 जनवरी, 2022 को डीजीएफटी की अधिसूचना जारी करने के परिणामस्वरूप डाला गया।

³⁸ संशोधित। संशोधन के पूर्व इसे "स्टार और प्रीमियर ट्रेडिंग गृह [एसटीएच / पीटीएच] भुगतान पर देय प्रलेख[डीपी] के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार अंतिम उपयोग संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना सोने का आयात कर सकते हैं।"

³⁹ दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं 12 के द्वारा इसे जोड़ा गया है।

दोनों ही विवरणियों को अगले महीने/ छमाही, जिससे वह संबंधित हो, की दस तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाना है, भले ही "शून्य" रिपोर्ट किया जाना हो।

सी.11.2. मूल्यवान धातु से और / अथवा हीरे / मूल्यवान / अर्ध मूल्यवान रत्न जड़ित गहनों सहित सोने के गहनों का आयात

सोने / मूल्यवान धातु से और / अथवा हीरे / मूल्यवान / अर्ध मूल्यवान रत्न जड़ित गहनों सहित सोने का किसी भी रूप में आयात करने के लिए खोले गये साख पत्रों की मीयाद की अवधि सहित आपूर्तिकर्ता और खरीदार का ऋण [व्यापार ऋण] शिपमेंट की तारीख से 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए।

सी.11.3. IFSCA द्वारा अधिसूचित पात्र स्वर्णकारों द्वारा सोने का आयात :

i. ⁴⁰निम्नलिखित निर्देश निवासी पात्र स्वर्णकारों को IIBX अथवा भारत सरकार द्वारा स्थापित IFSCA और DGFT से अनुमोदित किसी अन्य एक्सचेंज के माध्यम से सोना आयात करने में सक्षम बनाते हैं :

(ए) एडी बैंक मौजूदा विदेश व्यापार नीति और IFSC अधिनियम के तहत जारी विनियमावली के अनुपालन में पात्र स्वर्णकारों को IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए ग्यारह दिनों के अग्रिम भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि आईएफएससी अधिनियम और उसके तहत IFSCA द्वारा बनाई गयी विनियमावली के अनुसार IFSCA द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/जों के माध्यम से इस प्रकार के आयात के लिए किया जाने वाला अग्रिम विप्रेषण बिक्री संविदा अथवा अपरिवर्तनीय क्रय-आदेश की प्रकृति वाले किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप होगा। एडी बैंक हर प्रकार की समुचित सावधानी बरतेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विप्रेषण वास्तविक हैं और ये आयात लेनदेन IFSCA द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/जों के माध्यम से किए गए हैं।

(बी) स्वर्ण के आयात के लिए किए गए अग्रिम विप्रेषण का लाभ किसी भी रूप में अग्रिम प्रेषण से अधिक मूल्य के सोने के आयात के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।

(सी) ऐसे मामले में, जब IFSCA द्वारा अधिकृत एक्सचेंज के माध्यम से किए जा रहे ऐसे स्वर्ण का आयात जिसके लिए अग्रिम विप्रेषण भेजा जा चुका हो, सफल नहीं हो पाता अथवा इस उद्देश्य से भेजे गए विप्रेषण की राशि अपेक्षित राशि से ज्यादा होती है, तो अग्रिम विप्रेषण की अप्रयुक्त राशि ग्यारह दिनों की विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उसी एडी बैंक को वापस भेज दी जाएगी।

(डी) IIBX के माध्यम से आयातित स्वर्ण के मामले में पात्र स्वर्णकार को सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रवेश बिल (या आयात के साक्ष्य स्वरूप सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी/अनुमोदित कोई अन्य लागू दस्तावेज) उस एडी बैंक में प्रस्तुत करना होगा जहाँ से अग्रिम भुगतान का विप्रेषण किया गया है।

(ई) पात्र स्वर्णकारों द्वारा IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए किए गए सभी भुगतान आईएफएससी अधिनियम और विनियमावली के अंतर्गत IFSCA द्वारा अनुमोदित विनियम व्यवस्था के माध्यम से ही किए जाएंगे। IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों से यदि किसी भी प्रकार का विचलन होता है, तो IFSCA एवं अन्य संबंधित तथा समुचित प्राधिकरण/णों द्वारा उसका पूर्व-अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

ii. IFSCA विनियमों के तहत पात्र स्वर्णकारों द्वारा सोने के आयात को संभव बनाने हेतु इससे जुड़ी सभी संस्थाओं को शामिल करते हुए IFSCA द्वारा IIBX एक्सचेंज पर समुचित सावधानी बरतने संबंधी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। IFSCA यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक प्रणाली स्थापित करेगा कि पात्र स्वर्णकारों से ली गई अग्रिम विप्रेषण राशि का उपयोग IIBX के माध्यम से सोने के आयात के उद्देश्य से ही किया जाए।

⁴⁰ दिनांक 25 मई 2022 के एपी (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं 04 के द्वारा इसे जोड़ा गया है।

iii. प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि:

ए) पात्र स्वर्णकारों द्वारा किये गए सोने के आयात से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, सीमा शुल्क संबंधी प्रक्रियाएं और आयात के साक्ष्य के रूप में प्रवेश बिल प्रस्तुत करना, आदि सभी अपेक्षाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया हो।

बी) एक/ अनेक जावक विप्रेषण संदेश (ओआरएम) का संबंधित प्रवेश बिलों (बिल ऑफ एंट्री) के साथ मिलान कर लिया गया हो और आयात डेटा प्रसंस्करण प्रबंध प्रणाली (IDPMS) में उनका उचित रूप से निपटान भी किया गया हो।

सी) आयातक – अर्थात् पात्र स्वर्णकार द्वारा फेमा, 1999, एफटीडीआर अधिनियम 1992, विदेश व्यापार नीति और IFSCA के विनियमों के अनुसार आयात से संबंधित वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन किया गया हो।

डी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे मामलों के निपटान हेतु अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से आंतरिक दिशानिर्देश तैयार कर सकते हैं।

iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षा:

ए) प्राधिकृत व्यापारी बैंक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे सभी जावक विप्रेषणों के लिए IDPMS प्रणाली में जावक विप्रेषण संदेश (ORM) तैयार करेंगे।

बी) इन सभी लेनदेनों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार FETERS प्रणाली में रिपोर्ट किये जाने की आवश्यकता है।

सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक पात्र स्वर्णकारों द्वारा किये गए सोने के आयात संबंधी विवरणी को उपर्युक्त पैरा सी.11.1 के अनुसार CIMS में प्रस्तुत करेंगे।

v) उपर्युक्त व्यवस्था केवल पात्र स्वर्णकारों द्वारा IIBX अथवा IFSCA द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य किसी एक्सचेंज के माध्यम से भारत में सोने के भौतिक आयात की सुविधा प्रदान करने के लिए ही बनाई गई है।

सी.11.4 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित वैध भारत-यूई सीईपीए टैरिफ दर कोटा धारकों द्वारा सोने का आयात

एडी श्रेणी-I बैंक वैध भारत-यूई CEPA टैरिफ दर कोटा (TRQ) धारकों को IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए ग्यारह दिनों के अग्रिम भुगतान के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते 25 मई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 04 में उल्लिखित निदेशों का पालन किया गया हो।⁴¹

सी. 12. अन्य मूल्यवान धातुओं का आयात

सी.12.1. प्लैटिनम / पलाडियम / रोडियम / चांदी / कच्चे,कटे तथा पॉलिश किये हुए हीरों / मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्नों का आयात

ए) प्लैटिनम, पलाडियम, रोडियम, चांदी, कच्चे,कटे तथा पॉलिश किये हुए हीरों, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान रत्नों का आयात करने के लिए खोले गये साख पत्रों की मीयाद की अवधि सहित आपूर्तिकर्ता और खरीदार का ऋण [व्यापार ऋण] शिपमेंट की तारीख से 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए।

तथापि, बेजमानती उधार अर्थात् किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने भारतीय ग्राहक/ खरीदार को कच्चे, तराशे तथा पॉलिश किये हुए हीरों, मूल्यवान/ अर्ध मूल्यवान रत्नों का आयात करने के

⁴¹ दिनांक 31 जनवरी 2024 के एपी (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं 14 के द्वारा इसे जोड़ा गया है।

लिए किसी भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा जारी साख पत्र के [आपूर्तिकर्ता का ऋण] / वचनपत्र [खरीदार का ऋण] / उसमें रखी गयी मीयादी जमा के बिना दिए गए ऋण, के लिए शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों से अनधिक अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है।⁴² साथ ही, एडी बैंक कच्चे, कटे हुए तथा पॉलिश किये हुए हीरों का आयात करने के लिए दिये गये ऐसे क्लीन उधार के मामले में शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों से अधिक अवधि से निर्धारित अवधि / नियत तारीख के बाद अधिकतम 180 दिनों तक समय विस्तार प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद वे ऐसे मामले रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें। एडी बैंकों द्वारा ऐसे समय विस्तार निम्नलिखित शर्तों के अधीन देना चाहिए : (i) एडी बैंक प्रस्तुत किये गये कारण और लेनदेन की सदाशयता से संतुष्ट होना चाहिए तथा साथ ही, यह कि उस अतिरिक्त अवधि के लिए कोई ब्याज देने की बात उसमें शामिल नहीं है; (ii) वित्तीय अड़चनों और / अथवा गुणवत्ता संबंधी विवादों के कारण ऐसा समय विस्तार दिया गया है; (iii) आयातक की कहीं कोई जांच नहीं चल रही है, और वह कोई बार-बार ऐसी गलती करने वाला नहीं है। एडी बैंकों द्वारा इस प्रकार मंजूर किए गए समय-विस्तारों की ग्राहक-वार अर्धवार्षिक रिपोर्ट (छमाही अप्रैल-सितंबर और अक्टूबर-मार्च मानी जाएगी) संबंधित छमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।⁴³

- बी) एडी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यवान धातुओं का एवं कच्चे, कटे हुए और पॉलिश किये हुए हीरों का आयात करते समय सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं गयी हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये 'अपने ग्राहक को जानिये' [केवाईसी] मानदंड तथा धनशोधन निवारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। साथ ही, कारोबार की मात्रा में अचानक हुई भारी अथवा असामान्य वृद्धि पर बारीकी से नज़र रखी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लेनदेन प्रामाणिकता से किये गये हैं और उनका उद्देश्य ब्याज / मुद्रा की चुपके से खरीद बिक्री करना [currency arbitrage] नहीं है।

सी.12.2. अनिश्चित कीमत आधार पर प्लैटिनम / चांदी का आयात

एडी श्रेणी-1 बैंक नामित एजेंसी/ बैंक इस शर्त के अधीन प्लैटिनम / चांदी का एकमुश्त खरीद आधार पर [outright purchase basis] आयात करने की अनुमति दे सकते हैं कि भले ही उसका स्वामित्व आयात के समय ही आयातक को सौंप दिया जाएगा फिर भी उसकी कीमत जब आयातक खरीदार को वह प्लैटिनम / चांदी बेचेगा उसी समय तय की जाएगी।

.⁴⁴सी.12.3 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चांदी का आयात

एडी श्रेणी-1 बैंक पात्र ज्वैलर्स को IIBX के माध्यम से चांदी के आयात के लिए ग्यारह दिनों के अग्रिम भुगतान के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते 25 मई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 04 में उल्लिखित निदेशों का पालन किया गया हो।

सी.13. आयात की फैक्ट्रिंग

- i) एडी श्रेणी-1 बैंक रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिये बिना ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्रिंग कंपनियों, अधिमानतः फैक्टर्सचेन इंटरनेशनल के सदस्यों के साथ व्यवस्था कर सकते हैं।

⁴² दिनांक 31 मार्च 2016 के एपी (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं 57 के द्वारा इसे जोड़ा गया है।

⁴³ अद्यतन किया गया, अद्यतन किए जाने से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "एडी बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस प्रकार दिये गये समय विस्तार के बारे में ग्राहक वार छःमाही विवरण प्रस्तुत करें।"

⁴⁴ दिनांक 10 नवम्बर 2023 के एपी (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं 07 के द्वारा इसे जोड़ा गया है।

- ii) उन्हें आयात से संबंधित विद्यमान विदेशी मुद्रा निर्देशों, प्रचलित विदेशी व्यापार नीति और रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य दिशानिर्देशों / निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

45सी.14. वाणिज्यिक व्यापार

सी.14.1. एडी बैंक निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) संचालित कर सकते हैं:

- i) किसी ट्रेड को मर्चेंटिंग ट्रेड के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, अर्जित माल घरेलू टैरिफ एरिया में प्रवेश नहीं करेगा;
- ii) इस बात को स्वीकार करते हुए कि अर्जित किए गए माल पर कुछ विशिष्ट प्रोसेसिंग / मूल्य वर्धन आवश्यक हो सकता है, एडी बैंक के दस्तावेजी साक्ष्य तथा लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट होने के अधीन इस प्रकार से अर्जित माल के स्वरूप में परिवर्तन की अनुमति दी जाए।
- iii) मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेनों में वह माल शामिल हो सकेगा जिसके निर्यात/आयात के लिए अनुमति, पोतलदान की तारीख को प्रचलित भारत की विदेश व्यापार (एफ़टीपी) नीति में दी गई हो। निर्यात (निर्यात घोषणापत्र को छोड़कर) तथा आयात (प्रवेश बिल को छोड़कर) के लिए लागू तत्संबंधी सभी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन क्रमशः निर्यात लेग तथा आयात लेग के लिए किया गया हो;
- iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की वास्तविकता (bonafides) से संतुष्ट हो। इसके अलावा, ऐसे लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक को 'अपने ग्राहक को जानने (KYC)'/ 'धनशोधन निवारण (AML)' संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए
- v) संपूर्ण मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन एक ही प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से पूरा होना चाहिए। बैंक को इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, परिवहन दस्तावेज और बीमा दस्तावेज { यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध न हों तो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंक से विधिवत प्रमाणित अपरक्राम्य (non negotiable) प्रतियां प्राप्त की जाएं, का सत्यापन करेगा और ट्रेड की वास्तविकता के प्रति संतुष्ट हो लेना चाहिए; एडी बैंक यदि संतुष्ट हो तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो की वेबसाइट पर लदान-पत्र/ एयरवे बिल अथवा एयर लाइन वेब चेक-इन सुविधाओं के ऑनलाइन सत्यापन पर भरोसा कर सकते हैं। तथापि एडी बैंक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित ब्यौरे लेनदेन के निरीक्षण/ लेखापरीक्षा/ जांच के समय उपलब्ध कराये जाते हैं/ पुनः प्रापणीय हैं।
- vi) मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया नौ माह की समग्र अवधि के भीतर पूर्ण होनी चाहिए और उसके लिए विदेशी मुद्रा परिव्यय (outlay) चार माह से अधिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। मर्चेंटिंग ट्रेड के प्रारंभ की तिथि पोतलदान/ निर्यात चरण रसीद अथवा आयात चरण भुगतान की तारीख, इन में से जो भी पहले हो मानी जाएगी। इसके पूरे होने की तारीख वह होगी जो पोतलदान/ निर्यात चरण रसीद अथवा आयात चरण भुगतान की तारीख में से अंतिम तारीख होगी।
- vii) मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेनों के लिए अल्पावधि क्रेडिट या तो आपूर्तिकर्ता की क्रेडिट अथवा क्रेता की क्रेडिट, उस सीमा तक उपलब्ध होगी जो निर्यात लेग के लिए अग्रिम विप्रेषण द्वारा समर्थित न हो, इसमें, आयात लेनदेनों की भांति, प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निर्यात लेग के लिए एलसी की डिस्काउंटिंग शामिल है। तथापि आपूर्तिकर्ता/ क्रेता की क्रेडिट के लिए वचन-पत्र(LoU)/ चुकौती आश्वासन पत्र(LoC) जारी नहीं किया जाएगा।
- viii) आयात चरण के लिए भुगतान करने से पूर्व निर्यात चरण के लिए प्राप्त की गई राशि को आयात चरण की देयता देय होने तक या तो विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते अथवा ब्याज सहित भारतीय रुपया खाते में रख सकते हैं। उसे संबंधित आयात लेग के भुगतान के लिए चिह्नित/ ग्रहणाधिकार हेतु निश्चित किया जाए तथा जब कभी आयात चरण की देयता देय होती है तब उसे अविलंब इन निधियों में से समाप्त किया जाएगा। यदि इस प्रकार से प्राप्त राशियों को ब्याज सहित खाते में रखा गया है तो एडी बैंक द्वारा ग्राहक के अनुरोध पर, विद्यमान

45 मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन पर संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 23 जनवरी 2020 के एपी [डीआईआर] श्रृंखला परिपत्र सं.20 के जरिये जारी किए गए हैं और वे दिनांक 28 मार्च 2014 के एपी [डीआईआर] श्रृंखला परिपत्र सं.115 में निहित दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हैं।

- विनियमों के अनुसार उनकी हेजिंग करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। इन शेष राशियों की जमानत पर किसी प्रकार की निधि/ गैर निधि आधारित सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।
- ix) जहां आयात चरण के लिए भुगतान करना अभी शेष है (अंशतः होने पर भी) वहाँ निर्यात चरण साख-पत्र (एलसी) की भुनाई के मामले में, प्राप्त आय का उपयोग उपर्युक्त मद सं. 2(viii) में निर्धारित किए गए अनुसार किया जाएगा।
 - x) मर्चेट ट्रेडर के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (EEFC) में जमा शेष से आयात लेग के लिए भुगतान करने की भी अनुमति दी जा सकती है।
 - xi) पारदेशीय विक्रेता द्वारा मांग किए जाने पर आयात लेग के लिए अग्रिम भुगतान की अनुमति मर्चेटिंग ट्रेडर को दी जा सकती है। उन मामलों में जहां पारदेशीय आपूर्तिकर्ता को जावक विप्रेषण करने से पहले पारदेशीय क्रेता से आवक विप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है, वहां प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेन के संबंध में अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 5,00,000/-अमरीकी डालर प्रति लेनदेन से अधिक राशि के आयात चरण के लिए इस प्रकार का अग्रिम भुगतान, बैंक गारंटी/ प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक के शर्त रहित अप्रतिसंहरणीय स्टैंडबाइ साख-पत्र की जमानत पर दिया जाता है। ग्राहक द्वारा इस प्रकार के अग्रिम भुगतान के लिए अनुमति देने संबंधी समग्र विवेकपूर्ण सीमाएं एडी बैंक द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
 - xii) चार महीने के विदेशी मुद्रा परिव्यय तथा नौ माह में एमटीटी के पूरे होने की बात को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित "गारंटी तथा सह-स्वीकृतियां" पर अनुदेशों के अनुपालन की शर्त के अधीन पुष्टिकृत निर्यात आदेशों पर आयात चरण के लिए आपूर्तिकर्ता को साख-पत्र (LC) की अनुमति दी जाती है।
 - xiii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रत्येक मर्चेटिंग ट्रेड लेनदेन के मामले में एक चरण की उसी प्रतिचरण से मैचिंग (one to one matching) सुनिश्चित करे और, ट्रेडर द्वारा किसी चरण में की गई चूक को प्रत्येक अर्धवर्ष अर्थात् जून और दिसंबर की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अर्ध-वार्षिक आधार पर विनिर्दिष्ट फॉर्मेट (संलग्न) में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करे;
 - xiv) जिन मर्चेट ट्रेडरों का बकाया उनके वार्षिक निर्यात की आय के 5% से अधिक है उन चूककर्ता मर्चेटिंग ट्रेडरों के नाम सतर्कता सूची में डाले जाएंगे।

सी.14.2 मर्चेटिंग ट्रेडर वस्तुओं के वास्तविक (मौलिक) व्यापारी होने चाहिए, न कि केवल वित्तीय मध्यवर्ती। पारदेशीय क्रेताओं से उन्हें पुष्टिकृत आदेश प्राप्त होने चाहिए। मर्चेटिंग ट्रेडर द्वारा आदेश के दायित्व को पूरा करने की क्षमता के प्रति प्राधिकृत व्यापारी को संतुष्ट हो लेना चाहिए। मर्चेटिंग ट्रेड से लाभ होगा जिसे उस विशिष्ट एमटीटी के लिए निर्यात से प्राप्त आय में से आयात भुगतान तथा संबंधित व्यय को घटाकर निर्धारित किया जाएगा।

सी.14.3 निर्यात चरण की अप्राप्त राशि को बट्टे खाते डालना

i. एडी बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में मर्चेटिंग ट्रेडर द्वारा किए गए अनुरोध पर किसी भी सीमा के बिना निर्यात चरण की अप्राप्त राशि को बट्टे खाते डाल सकता है:

ए. एमटीटी क्रेता को दिवालिया घोषित किया गया है और शासकीय परिसमापक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्यात की प्राप्य राशि को वसूल करने की कोई संभावना नहीं है।

बी. निर्यात किए गए माल को आयात करने वाले देश के पत्तन/ सीमा शुल्क/ स्वस्थ प्राधिकारियों द्वारा नीलम अथवा नष्ट किया गया है और इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

सी. निर्यात चरण की अप्राप्त राशि भारतीय दूतावास, फ़ॉरेन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स अथवा इसी प्रकार के कोई संगठन के हस्तक्षेप के माध्यम से निपटाए गए मामले में देय शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

बशर्ते, एमटीटी ने उपर्युक्त ए, बी, तथा सी में उल्लिखित कारणों से समय-सीमाओं (या तो परिव्याया अथवा एमटीटी की पूर्तता अर्थात् या दोनों के लिए) में हुए विलंब को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानों का पालन किया है।

ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त (i) पर दिए गए अनुसार बट्टे खाते डालना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

ए. प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की वास्तविकता (bonafides) से संतुष्ट हो और वह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी/ एएमएल संबंधी कोई चिंता के कारण नहीं है।

बी. लेनदेन किसी भी जांच एजन्सि/ एजन्सियों द्वारा फेमा के अंतर्गत जांच के अधीन नहीं होगा।

सी. मर्चेंट ट्रेडर की काउंटर पार्टी ऐसे देश अथवा क्षेत्राधिकार से नहीं है जिन्हें उच्च जोखिमवाले तथा असहकारी क्षेत्राधिकारों पर एफ़एटीएफ़ के अद्यतन किए गए सार्वजनिक वक्तव्य में शामिल किया गया है और जिन पर एफ़एटीएफ़ ने प्रति उपाय करने के लिए कहा है।

सी.14.4 थर्ड पार्टी भुगतान

एमटीटी के निर्यात तथा आयात चरणों के लिए थर्ड पार्टी भुगतान की अनुमति नहीं है।

सी.14.5 एजेंसी कमीशन का भुगतान

एमटीटी पर एजन्सि कमीशन अनुमत नहीं है। तथापि एडी बैंक अपवादतमक परिस्थितियों में उचित सीमा तक बाहरी विप्रेषण के माध्यम से एजन्सि कमीशन के भुगतान के लिए अनुमति दे सकते हैं जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

ए. एमटीटी को हर तरह से पूर्ण किया गया है।

बी. एजन्सि कमीशन का भुगतान करने के परिणामस्वरूप एमटीटी को घाटा नहीं होगा।

सी. मर्चेंटिंग ट्रेडर एडी बैंक को इस संबंध में विशिष्ट अनुरोध करेगा।

सी.14.6 एमटीटी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के मामले में की गई किसी प्रकार की चूक के विनियमन के लिए एडी बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय(आरओ) से संपर्क करे तथा रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही एमटीटी को बंद किया जाएगा।

सी.14.7 फेटर्स(FETERS)के अंतर्गत मर्चेंटिंग ट्रेडलेनदेनोंकी रिपोर्टिंग **सकल आधार पर** निम्नलिखित कूट संख्याओं (codes) के समक्ष की जाए :

ट्रेड	फेटर्स के अंतर्गत प्रयोजन कोड	ब्योरा
निर्यात	पी0108	मर्चेंटिंग के अंतर्गत बेची गई वस्तुएं/मर्चेंटिंग ट्रेड के निर्यात लेग के बदलेप्राप्ति (receipt)
आयात	एस0108	मर्चेंटिंग के अंतर्गत अर्जित वस्तुएं/मर्चेंटिंग ट्रेड के आयात लेग के बदलेकिया गया भुगतान

सी.14.8. नेपाल और भूटान के साथ वाणिज्यिक व्यापार

चूंकि नेपाल और भूटान जमीन से घिरे हुए देश हैं, [लैंड लॉक] अतः वहां पर ट्रांजिट व्यापार की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से नेपाल और भूटान के साथ भारत सरकार द्वारा की गयी ट्रांजिट की संधि के अनुसरण में कस्टम्स ट्रांजिट घोषणा पत्र के अंतर्गत भारत के माध्यम से किसी तीसरे देश से सामान आयात करने की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार से परामर्श करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि नेपाल और

भूटान के आयातकों को भारत से वाणिज्यिक व्यापार के अंतर्गत किसी तीसरे देश के माध्यम से भेजे गये सामान को ट्राफिक इन ट्रांजिट माना जाएगा बशर्ते वह सामान क्रमशः भारत नेपाल ट्रांजिट संधि और भारत भूटान ट्रांजिट संधि के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

सी.15. ऑन लाइन भुगतान गेट वे के माध्यम से [ओपीजीएसपी] आयात संबंधी भुगतानों पर कार्रवाई करना

एडी श्रेणी-1 बैंकों को ऑन लाइन भुगतान गेट वे [ओपीजीएसपी] के साथ स्थायी व्यवस्था करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2,000 अमरीकी डॉलर से अनधिक मूल्य के माल और सॉफ्टवेयर आयात करने की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गयी है:-

- ए) आयात संग्रहण खाते में धारित राशियां संबंधित विदेशी निर्यातकों के खातों में आयातक से राशियाँ प्राप्त होने के तत्काल बाद और किसी भी स्थिति में संग्रहण खाते में राशि जमा होने की तारीख से दो दिनों के भीतर जमा की जाएँगी ।
- बी) एडी श्रेणी-1 बैंक ऑन लाइन भुगतान गेट वे [ओपीजीएसपी] से आयात के साक्ष्य के रूप में इनवाईस और एयर वे बिल की एक प्रतिलिपि, जिसमें लाभार्थी का नाम और पता होगा प्राप्त करेंगे और विदेशी मुद्रा शीर्ष के अंतर्गत आर-विवरणों में उस लेनदेन की रिपोर्ट करेंगे।
- सी) OPGSP आयात संग्रहण खाते में अनुमत जमा राशि :
- (i) पारदेशीय निर्यातक से एलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन लाइन खरीद करने पर भारतीय आयातक से संग्रहीत राशि, और
- (ii) पारदेशीय निर्यातकों से चार्ज बैक
- डी) ओपीजीएसपी आयात संग्रहण खाते में अनुमत डेबिट निम्नानुसार होंगे:
- (i) पारदेशीय निर्यातकों को अनुमत विदेशी मुद्रा में भुगतान
- (ii) भारतीय आयातकों को राशियाँ लौटाने के लिए किया गया भुगतान;
- (iii) ओपीजीएसपी के चालू खातों में करार में यथा परिभाषित दरों / फ्रीकेंसियों पर भुगतान ; और
- (iv) बैंक के प्रभार

46. सी.16. जिन मुद्राओं की कोई प्रत्यक्ष विनिमय दर नहीं है, उन मुद्राओं में आयात लेनदेनों का निपटान

क्रियाविधियों को और उदार बनाने के लिए तथा आयात लेनदेनों को और अधिक सुकर बनाने के लिए, जहां इनवाईसिंग मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया गया है और निपटान लाभार्थी की मुद्रा में किया गया है, जो भले ही परिवर्तनीय हो लेकिन जिसकी कोई प्रत्यक्ष विनिमय दर नहीं हो, उस मुद्रा में किये गये लेनदेनों के बारे में यह निर्णय किया गया है कि एडी श्रेणी-1 बैंक ऐसे आयात लेनदेनों की [एसीयू तंत्र के माध्यम से किये गये लेनदेनों को छोड़ कर] निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दे सकते हैं :

- ए) आयातक एडी बैंक का ग्राहक होना चाहिए ,
- बी) हस्ताक्षरित करार / इनवाईस मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होना चाहिए,
- सी) लाभार्थी मूल [मुक्त रूप से परिवर्तनीय] मुद्रा के बदले इनवाईस / करार, साख पत्र की मुद्रा में पूर्ण और अंतिम भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए,
- डी) एडी बैंक उस लेनदेन की प्रामाणिकता से संतुष्ट होना चाहिए, और
- ई) एडी बैंक के आयातक की प्रति पार्टि अद्यतन की गयी उच्च जोखिम और असहकारी एफएटीएफ देशों की सूची से अथवा कार्यक्षेत्र से, जहां एफएटीएफ ने प्रतिउपायों को लागू किया है, नहीं होनी चाहिए ।

----- 000 -----

46 दिनांक 4 फरवरी 2016 के एपी | डीआईआर | श्रृंखला परिपत्र सं.42 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया।

माल और सेवाओं के आयात विषय पर जारी किये गये परिपत्रों की समेकित सूची

क्रम संख्या	एपी. [डीआईआर] परिपत्र सं.	विषय	परिपत्र की तारीख
1	106	भारत में माल और सेवाओं का आयात	19 जून 2003
2	4	व्यापारी लेनदेनों का मर्चान्टिंग-स्पष्टीकरण-अल्पावधि ऋण	19 जुलाई 2003
3	9	आयात का सबूत - उदारीकरण	18 अगस्त, 2003
4	15	आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण	17 सितम्बर 2003
5	49	आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण	15 दिसंबर 2003
6	66	भारत में आयात-आयात बिलों/दस्तावेजों की सीधीप्राप्ति	6 फरवरी 2004
7	72	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 - भारत में मालों का आयात - आयात के साक्ष्य।	20 फरवरी, 2004
8	2	(i) निर्यात उन्मुख यूनितों [ईओयू] द्वारा (ii) एसईजेड / ईपीजेड में स्थित यूनितों द्वारा और (iii) नामित एजेंसियों द्वारा सोने का आयात	9 जुलाई 2004
9	34	ऋण आधार पर सोने का आयात-ऋण का टेनर और स्थायी साख पत्र खोलना	18 फरवरी 2005
10	1	1,00,000 अमरीकी डॉलर और उससे कम मूल्य की मालों का आयात-आयात के सबूत के लिए अनुवर्ती कार्रवाई पर स्पष्टीकरण	12 जुलाई 2005
11	33	निर्यात और आयात क्रियाविधियों का उदारीकरण	28 फरवरी 2007
12	34	1,00,000 अमरीकी डॉलर और उससे कम मूल्य की मालों का आयात-आयात के सबूत के लिए अनुवर्ती कार्रवाई पर स्पष्टीकरण	2 मार्च 2007
13	63	कारोबार प्रक्रिया आउट सोर्सिंग कंपनियों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय कोल सेंटर के लिए औजारों का आयात	25 मई 2007
14	77	एयर क्राफ्ट / हेलिकॉप्टर / अन्य विमानन संबंधी खरीदों की आयात के लिए अग्रिम भुगतान	29 जून 2007
15	18	बिलों /दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति - उदारीकरण	7 नवम्बर 2007
16	37	कच्चे मूल्यवान और अर्ध कीमती पत्थरों के आयात के लिए आयात बिल / दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति	16 अप्रैल 2008
17	03	कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण	4 अगस्त 2008
18	08	कच्चे हीरों के निर्यात के लिए अग्रिम विप्रेषण	21 अगस्त 2008
19	09	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 - मालों के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण - उदारीकरण	21 अगस्त 2008
20	12	विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 - प्लैटिनम / पलाडियम / रोडियम का आयात	28 अगस्त 2008
21	13	आयात बिलों / दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति - उदारीकरण	1 सितम्बर 2008
22	15	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 - सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम में विप्रेषण	8 सितम्बर 2008
23	21	कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम में विप्रेषण	29 दिसंबर 2009
24	56	मालों के आयात के लिए अग्रिम में विप्रेषण-उदारीकरण	29 अप्रैल 2011
25	59	कच्चे, कटे हुए और पॉलिश किये हुए हीरों का आयात	06 मई 2011
26	82	आयात के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना- और अधिक उदारीकरण	21 फरवरी 2012
27	83	सोने का ऋण आधार पर आयात - ऋण का टेनर और स्थायी साख पत्र [स्टैंड बाय] खोलना	27 फरवरी 2012
28	103	सोने के आयात के संबंध में आंकड़ें - विवरण - संशोधन	03 अप्रैल 2012
29	83	मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थरों का आयात - स्पष्टीकरण	20 फरवरी 2013
30	103	नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने का आयात	13 मई 2013
31	107	नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने का आयात	4 जून 2013

32	122	नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने का आयात	27 जून 2013
33	15	नामित बैंकों / एजेंसियों / संस्थाओं द्वारा सोने का आयात	22 जुलाई 2013
34	39	मुद्रा का निर्यात -आयात	6 सितम्बर 2013
35	70	निर्यात आयात / आयात लेनदेनों के लिए तीसरी पार्टी को भुगतान	8 नवम्बर 2013
36	71	कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण	8 नवम्बर 2013
37	73	नामित बैंकों / एजेंसियों / संस्थाओं द्वारा सोने का आयात	11 नवम्बर 2013
38	75	भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा गारंटी / वचन-पत्र [एलओयू]/ कम्फर्ट लेटर [एलओसी]	19 नवम्बर 2013
39	82	नामित बैंकों / एजेंसियों / संस्थाओं द्वारा सोने का आयात	31 दिसंबर 2013
40	95	मेर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन	17 जनवरी 2014
41	100	निर्यात / आयात लेनदेनों के लिए तीसरी पार्टी को भुगतान करना	04 फरवरी 2014
42	103	नामित बैंकों / एजेंसियों / संस्थाओं द्वारा सोना / सोने के डोरे का आयात	14 फरवरी 2014
43	115	व्यापारी लेनदेन की मर्चेंटिंग- संशोधित दिशानिर्देश	28 मार्च 2014
44	116	कच्चे हीरों के निर्यात के लिए अग्रिम विप्रेषण	01 अप्रैल 2014
45	122	भारत में आयात के लिए व्यापारी उधार- एलिन लागत उच्चतम सीमा की समीक्षा	10 अप्रैल 2014
46	133	नामित बैंकों / एजेंसियों / संस्थाओं द्वारा सोने का आयात	21 मई 2014
47	146	मुद्रा का निर्यात / आयात- बढ़ाई गयी सुविधाएं	19 जून 2014
48	2	कच्चे, कटे हुए और पॉलिश किये हुए हीरे - ऋण रियायत	07 जुलाई 2014
49	42	नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने का आयात	28 नवम्बर 2014
50	76	फार्म ए1- आयात के लिए भुगतान - उसे रद्द करना	12 फरवरी 2015
51	79	नामित बैंकों /एजेंसियों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश	18 फरवरी 2015
52	96	नेपाल एवं भूटान को मेर्चेंटिंग ट्रेड	30 अप्रैल 2015
53	16	ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता द्वारा सुकर बनाये गये निर्यात और आयात संबंधी बिलों पर कार्रवाई करना और उनका निपटान करना	24 सितम्बर 2015
54	29	भारत में माल का आयात - आयात का साक्ष्य (evidence)	26 नवम्बर 2015
55	30	एयर क्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर / अन्य विमानन संबंधी खरीदों की आयात के लिए अग्रिम भुगतान	26 नवम्बर 2015
56	42	निर्यात/ आयात लेनदेनों का उन मुद्राओं में निपटान जिनकी कोई प्रत्यक्ष विनिमय दर नहीं है	4 फरवरी 2016
57	57	कच्चे, कटे हुए और पॉलिश किये हुए हीरों का आयात	31 मार्च 2016
58	65	माल का आयात - आयात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS)	28 अप्रैल 2016
59	05	आयात आंकड़े प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [IDPMS]	06 अक्टूबर 2016
60	11(1)/14(R)	विदेशी मुद्रा प्रबंधन [प्राप्ति और भुगतान का तरीका] विनियमावली, 2016	20 अक्टूबर 2016
61	27	आयात आंकड़े प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [IDPMS] के अंतर्गत आयात की साक्ष्य	12 जनवरी 2017
62	33	माल तथा सेवाओं का आयात - आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार	22 मई 2020
63	04	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा यथा अधिसूचित पात्र स्वर्णकारों द्वारा स्वर्ण के आयात पर दिशानिर्देश	25 मई 2022
64	13	निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग	28 सितंबर 2021
65	07	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चांदी के आयात पर दिशानिर्देश	10 नवंबर 2023
66	12	CIMS परियोजना का क्रियान्वयन - पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना	22 दिसंबर 2023
67	14	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित भारत-यूई CEPA टैरिफ दर कोटा (TRQ) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश	31 जनवरी 2024